छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg.No. - CHHHIN / 2009/36148
डाक पंजीयन क्र. - 49 / रायगढ़ / C.G/2021-2023

वर्ष - 14 ■ अंक - 111 ■ अम्बिकापुर, मंगलवार 25 अप्रैल 2023 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

www.cgfrontline.com

अक्षय तृतीया पर 58 वर्षीय अरविंद व 52 वर्षीय रानी एक-दूजे के हुए

25 वर्ष पहले बनी सात फेरे लेने की सोच अब हुई साकार

■ 52 वर्षीय बेटी का कन्यादान किया हमउम्र मां डॉ. मीरा शुक्ला ने

गिरिजा कुमार ठाकुर

अंबिकापुर। अक्षय तृतीया के दिन जहां एक ओर नाबालिगों का विवाह चोरी-छिपे कराने की होड़ मची रहती है, वहीं शहर में एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 58 वर्षीय कुंवारे अफसर ने 52 वर्ष की संगिनी के साथ विवाह की रस्म पूरी करते हुए सात फेरे लिए। बड़ी बात यह है कि लड़की के स्वजनों की गैर मौजूदगी में 52 वर्षीय बेटी का कन्यादान हम उम्र मां एमएसएसव्हीपी की डॉयरेक्टर डॉ.मीरा शुक्ला ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक भटगांव रजनी रविशंकर त्रिपाठी सहित अफसर के परिवार के सभी सदस्यों की मौजूदगी रही। सभी ने वर-वधु को आशीर्वाद प्रदान किया और प्रीतिभोज में भी शामिल हुए।

दरअसल कमिश्नर कार्यालय बिलासपुर में सुप्रीटेंडेंट के पद पर पदस्थ अरविंद कुमार उपाध्याय 32 वर्ष के थे, इस दौरान उनका परिचय बिलासपुर की ही रानी सिंह से हुआ, जो तत्समय 27 वर्ष की थी। दोनों एक-दूसरे को न सिर्फ चाहने लगे बल्कि अटूट बंधन से जुड़ने की दोनों में चाहत रही, दोनों एक-दूसरे के बना रह नहीं सकते थे। ब्राह्मण व क्षत्रिय होने के कारण जाति की समस्या आड़े आ रही थी, लड़की पक्ष इनके विवाह से सहमत नहीं था। इसके बाद दोनों कुंवारा जीवन बिताते रहे। दौर ऐसा भी आया कि रानी सिंह घर छोड़कर अरविंद को अपनाने के लिए तैयार हो गई। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद ही एक-दूजे को समर्पित करने की सोच बनाकर रखे थे। यह प्रस्ताव घर वालों के समक्ष अरविंद ने भी रखा लेकिन अलग जाति की लड़की होने के कारण वे इसके लिए राजी नहीं हुए। कुछ वर्षों बाद सेवानिवृत्ति के पड़ाव में पहुंच रहे अरविंद कुमार उपाध्याय ने अपनी भाभी आशा से रानी से विवाह के संबंध में चर्चा की, तो उन्होंने अपनी भाभी अर्चना पांडेय को इससे अवगत कराया। अर्चना ने इसका रास्ता निकालने आश्वस्त किया और उन्होंने एमएसएसव्हीपी की डायरेक्टर डॉ. मीरा शुक्ला को पूरी बातों से लगभग दो माह पहले अवगत कराया। दोनों के बीच रोड़ा बनी जातिगत समस्या और 52 व 57 वर्ष में कुंवारेपन की बनी स्थिति को देखते हुए उन्होंने लड़के पक्ष के परिवार के बीच सामंजस्य बनाने की पहल शुरू की। उन्होंने अरविंद व रानी को आमने-सामने करके पहले तो उनके जज्बात को समझने का प्रयास किया, फिर इनके स्वजनों से बातचीत की और उम्र के इस पड़ाव पर बिना किसी स्वार्थ के एक-दूजे के लिए समर्पित जोड़ों की भावना का सम्मान करने के लिए कहा। इसके बाद अरविंद के परिवार के सदस्य मान गए। इधर युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में कदम रख चुकी रानी भी लिए गए निर्णय को लेकर प्रफुल्लित होकर वैवाहिक बंधन में बंधने को तैयार हो गई। अक्षय तृतीया के दिन अरविंद व रानी वैवाहिक बंधन में बंध गए। कन्यादान की बारी आई तो स्वजनों की सहमति से 52 वर्षीय डॉ.मीरा शुक्ला ने 52 वर्षीय रानी सिंह का कन्यादान किया। विवाह की पूरी रस्म पंडित व अधिवक्ता की मौजूदगी में वर पक्ष के अंबिकापुर स्थित निवास रामनिवास नगर में संपन्न हुई। वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद एक-दूजे के हुए अरविंद और रानी अमृतधारा की यात्रा के लिए रवाना हो गए। उपस्थित जनों ने इनके स्वस्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना की।

साथ रहने के बाद भी बना रहा संयम

अरविंद व रानी एक-दो दिन से नहीं बल्कि 25 वर्षों से एक साथ रह रहे थे, लेकिन वैवाहिक बंधन में नहीं बंधने के कारण इन्होंने संयम बनाए रखा और एक छत के नीचे रहने के बाद भी मर्यादा में रहे। आए दिन जहां एक ओर लड़कियों की मर्यादा को तार-तार करने हवसी प्रवृत्ति के लोगों का चेहरा सामने आता है, वहीं अरविंद व रानी ऐसे लोगों के लिए मिसाल हैं, जिन्होंने लिव इन की सोच तक नहीं बनाई और एक-दूजे के लिए समर्पित रहते कुंवारा जीवन बिताते रहे। इनके बीच कभी ऐसी विवाद की स्थिति भी नहीं बनी। न ही अरविंद ने कभी ऐसा महसूस किया कि साथ रहने के बाद भी उनकी रानी को बांझपन का ताना सहना पड़ सकता है।

डॉ.मीरा शुक्ला ने किया 17वां कन्यादान

एमएसएसव्हीपी की डॉयरेक्टर डॉ.मीरा शुक्ला ने अपनी बेटी का कन्यादान तो किया ही, वे अब तक 17 बेटियों के हाथ पीले करके कन्यादान कर चुकी हैं। उनके सामने कई बार ऐसे जोड़े सामने आए, जो वैवाहिक बंधन में बंधना तो चाहते थे, लेकिन कोई न कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती कि उम्र का साथ छोड़ने की स्थिति बन जाती थी। ऐसे हालातों से जूझ रही बेटियों के हाथ पीले कर उन्हें जीवन के सुखमय डोर से बांधने का काम डॉ.मीरा शुक्ला ने किया। कुछ बेटियां तो ऐसी भी रहीं, जिनके आगे-पीछे उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था।

आरटीपीसीआर जांच में ओमिक्रॉन एक्सबीबी.1.16 स्ट्रेन के तीन केस मिले

संक्रमितों में दो जशपुरनगर व एक मोरगा निवासी शामिल

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ अब तक 4153 लोगों की जांच में 390 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन सबके बीच गंभीर बात यह है कि हॉल में जिनोम सिक्वेंसिंग के तीन मामले ओमिक्रॉन एक्सबीबी 1.16 स्ट्रेन के पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड नियमों का पालन अनिवार्य करके इस स्ट्रेन को हराया जा सकता है। यह देश भर में पाया जाने वाला स्ट्रेन ही है। सरगुजा में भी हॉल जिनोम सिक्वेंसिंग के तीन मामले ओमिक्रॉन एक्सबीबी.1.16 स्ट्रेन के पाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के डीन डॉ. रमनेश मूर्ति ने बताया 15 अप्रैल को आरटीपीसीआर लैब में 46 कोविड-19 के पॉजिटिव सैंपल लिए गए, इनमें होल जिनोम सिक्वेंसिंग (डब्ल्यूजीएस) से ओमिक्रॉन एक्सबीबी.1.16 स्ट्रेन का पाया गया है, संक्रमितों में दो जशपुरनगर व एक मोरगा के हैं। उन्होंने बताया यह देशभर में पाया जाने वाला स्ट्रेन ही है। डीन ने बताया लोगों को इससे डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। मॉस्क पहनने की आदद डालें और हाथ साबुन से समय-समय पर धोते रहें, ताकि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच उन्हें किसी गंभीर हालात का सामना न करना पड़े। बता दें सरगुजा जिले में सोमवार को 22 पॉजीटिव केस पाए गए हैं, वहीं 455 सेंपल लिए गए। अस्पताल से अब तक कुल तीन लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। होम आइसोलेशन में स्वस्थ्य होने के बाद 46 डिस्चार्ज किए गए हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या अस्पताल में 05, होम आइसोलेशन में 228 है।

जंगल में चर रहे बछड़े को मार डाला तेंदुआ

छ.ग.फ्रंटलाइन भैयाथान। विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बैजनाथपुर-ल के मट्ठापानी में तेंदुआ ने एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया। तेंदुए के हमले से बछड़े की मौत हो गई। जंगल मे तेंदुए की दस्तक से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार मट्ठापानी निवासी जगनंदन राजवाड़े का बछड़ा घर के पास स्थित जंगल में चर रहा था, इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बछड़े के पिछले पैर व कान को तेंदुआ अपना आहार बना लिया। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ इसी क्षेत्र के जंगल में घूम रहा है, इसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच बछड़े का पंचनामा की और क्षतिपूर्ति की अग्रिम कार्रवाई की है। वन विभाग के द्वारा आसपास स्थित जंगल में निगरानी की जा रही है। एहतियात बरतते हुए ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मना किया जा रहा है। रात में घर से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी जा रही है।

बारातियों से भरी पिकअप पलटने से 12 वर्षीय बालक की मौत, एक दर्जन घायल

■ घायल बालक ने रात में पिता को मोबाइल पर कहा-पापा मेरी कमर टूट गई है आ जाओ, बेवश पिता नहीं पहुंच पाया, सुबह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया मृत घोषित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जजगा के समीप रविवार की रात करीब तीन बजे बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत में पलट गई। हादसे में एक बालक की मौत हो गई, दर्जन भर बाराती घायल हो गए। मृत बालक को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया था, वह मोबाइल पर अपने पिता से तकलीफ भरी कराह लेते हुए बताया कि पापा मेरी कमर टूट गई है, आप जल्दी आ जाओ। आवागमन का साधन नहीं मिलने के कारण बेवश पिता रात में नहीं पहुंच पाया, सुबह बालक की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार रविवार को उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बासेन से मेंड्राकला, भिट्ठी बारात आई थी। रात करीब दो बजे डेढ़ दर्जन बाराती पिकअप क्रमांक सीजी 04 एनए 9107 में सवार होकर वापस जाने के लिए निकले थे। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जजगा मुख्य मार्ग में मंदिर से पहले पहुंचे ही थे कि पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत में पलट गई। पिकअप पलटते ही चीख-पुकार मच गई। रास्ते से आने-जाने वाले लोगों ने पिकअप को पलटे देखा और कराहते घायलों को देख मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। बारातियों में से किसी ने संजीवनी 108 एक्सप्रेस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची संजीवनी 108 से सभी घायलों को उदयपुर अस्पताल ले जाया गया, यहां गंभीर रूप से घायल ग्राम बासेन निवासी 12 वर्षीय दिलदार सिंह आर्मो पिता कांशी राम आर्मो को चिकित्सकों ने बेतहर इलाज के लिए अबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया, सोमवार की सुबह उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, यहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृत बालक के पिता थे रिश्तेदार के यहां

पिकअप चालक राजेन्द्र ने गंभीर रूप से घायल दिलदार के पिता कांशी राम को मोबाइल पर घटना की जानकारी दी और बताया कि पिकअप पलटने से उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दौरान कांशी राम अपने रिश्तेदार के यहां ठिर्रीआमा में था। चालक ने पुत्र दिलदार की बात उसके पिता से कराई। दिलदार ने कराहते हुए पापा को कमर टूटने से हो रही तकलीफ की जानकारी दी। बेटे की पीड़ा भरी बातों को सुनकर पिता का मन सिहर गया। वह अपने बेटे के पास कैसे पहुंचे, इसे लेकर चिंता में था लेकिन आवागमन का कोई साधन नहीं होने और जंगली रास्ता होने के कारण वह रात में नहीं आ सका। सुबह जब उदयपुर अस्पताल पहुंचा तो उनके बेटे को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेटे को लेकर पहुंचा तो जांच के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चालक को झपकी आने की संभावना

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची लखनपुर पुलिस ने विवेचना में पाया कि रात करीब तीन बजे जजगा मुख्य मार्ग में मंदिर से पहले हादसा हुआ है। घटनास्थल को देखने से देर रात होने के कारण चालक को झपकी आने की संभावना पुलिस जता रही है, जिससे पिकअप काफी दूर तक सड़क के किनारे से होते अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई।

बाराती जान जोखिम में डालकर करते हैं सफर

शादी-ब्याह के मौके पर पिकअप, ट्रैक्टर जैसे वाहनों में बारातियों को लाने-ले जाने की परंपरा काफी पुरानी है। कई बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम किराए में पिकअप जैसे अन्य मालवाहकों की उपलब्धता के कारण सुरक्षित और बंद वाहनों में बारात ले जाने से कतराते हैं। बाराती भी जान जोखिम में डालकर इन वाहनों में सफर करने से नहीं हिचकिचाते हैं।

एजेंसी देना है

सीतापुर, वाड्रफनगर, चिरिमिरी

में एजेंसी देना है इच्छुक व्यक्ति सुरक्षा धन राशि के साथ संपर्क करें।

दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

फोन नं. 9826142977, 9713108088

ताइक्कांडो में आरूषि को मिला ब्लैक बेल्ट

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। ताइक्कांडो क्लब पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्रा आरूषि कश्यप को ब्लैक बेल्ट प्रमाण पत्र मिला है। यह प्रमाण पत्र ताइक्कांडो हेड क्वार्टर साउथ कोरिया कुकी वन से प्राप्त हुआ है। उक्त प्रमाण पत्र को सरगुजा एसपी भावना गुप्ता ने अपने हाथों से आरूषि को सौंपा और बधाई दी। ताइक्कांडो क्लब पुलिस लाइन के प्रशिक्षक राधेश्याम माणिकपुरी द्वारा प्रतिदिन ताइक्कांडो का प्रशिक्षण दिया जाता है। ताइक्कांडो क्लब में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों को बैंगलुरू से आए राष्ट्रीय प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। 20 प्रतिभागियों ने ब्लैक बेल्ट के लिए आवेदन किया था, जिसमें से पहले चरण में आरूषि कश्यप को प्रमाणपत्र ताइक्कांडो हेड क्वार्टर साउथ कोरिया कुकी वन से मिला है।

सोमवार को कार्यालय में उपस्थित रहेंगे सभी अधिकारी-कर्मचारी

विभिन्न कार्यालयों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, बिना सूचना अनुपस्थिति पर बिफरे, अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस

■ दस्तावेजों के व्यवस्थित रख-रखाव, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सोमवार को कलेक्टोरेट परिसर में स्थित कंपोजिट बिल्डिंग में स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को कार्यालय में संधारित दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। लगभग दो से ढाई घंटे तक चले निरीक्षण में कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यालय में संधारित दस्तावेजों के अद्यतन स्थिति का अवलोकन किया गया। इस दौरान लगभग 20 कर्मचारी अनाधिकृत तरीके से अनुपस्थित पाए गए, इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं टूर या फिल्ड में निकले अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सोमवार को कार्यालय में उपस्थित रहें, ताकि यहां आने वाले लोगों का काम अवरूद्ध न हो। कलेक्टर ने यह निरीक्षण पिछले दिनों उनके अधीनस्थ अपर कलेक्टर के द्वारा किए गए निरीक्षण दौरान कार्यालयों से नदारद पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए किया।

कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग, श्रम, आबकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कार्यपालन अभियंता पीएमजीएसवाय, सर्व शिक्षा अभियान, जिला निर्वाचन स्थानीय, जिला निर्वाचन सामान्य आदि कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थिति पंजी, कैश पंजी सहित कई दस्तावेज संधारित नहीं पाए गए। कलेक्टर कुन्दन ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि शनिवार और रविवार को अवकाश के बाद सोमवार को फील्ड विजिट ना रखें। समस्त विभागीय अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें। दो दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को कार्यालयों के खुलने पर आम जन विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालयों में पहुंचते हैं। आम जन की सुविधा एवं सहयोग हेतु उन्होंने विभागों को यह निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा निरीक्षण के दौरान बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अगले क्रम में कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने कार्यालयों को व्यवस्थित करते हुए स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देने विभागों को निर्देशित किया। इस दौरान अपर कलेक्टर एएल ध्रुव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिए उमड़े अभिभावक

केशवपुर स्कूल में अभी तक 529 ऑफलाइन आवेदन अभिभावकों ने लिए, 102 ने किया ऑनलाइन आवेदन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश का 15 दिन बीत गया है, लेकिन जिले के सभी विद्यालयों में बच्चों का दाखिला कराने आवेदन प्राप्त करने अभिभावकों की भीड़ उमड़ रही है। सहूलियत के लिए इस बार ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय केशवपुर के प्राचार्य संतोष कुमार साहू ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभिभावकों से अपील की है कि ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकाल कर सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ विद्यालय में नीयत तिथि पांच मई तक वे जमा कर सकते हैं, ताकि उनके फॉर्म का परीक्षण कर कमियों का निराकरण किया जा सके। उन्होंने बताया अभी तक विद्यालय में ऑफलाइन से 529 आवेदन तथा ऑनलाइन 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिर्फ कक्षा पहली में ही आवेदनों की संख्या 170 से अधिक है। उन्होंने प्रवेश हेतु आवेदनों की संख्या को देखते हुए बताया कि राज्य के निर्देशानुसार लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद निर्धारित सीट होने के कारण लॉटरी में सामने आए बच्चों का दाखिला हो पाएगा।

आज मनाया जायेगा विश्व मलेरिया दिवस

मलेरिया मुक्त की ओर अग्रसर बलरामपुर-रामानुजगंज जिला

बलरामपुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यह दिन इस बात के लिए भी जाना पहचाना जाता है कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैश्विक प्रयास किये जा रहे है। मच्छरों के कारण फैलने वाली इस बीमारी से हर साल कई लाख लोग ग्रसित होते हैं।

पूर्व के वर्षों में प्रदेश में ज्यादा मलेरिया रोगी की पहचान बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में होती थी, परन्तु वर्तमान में जिले की स्थिति बदल चुकी है और जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में मलेरिया के रोकथाम तथा उन्मूलन हेतु कई कार्य किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले को मलेरिया मुक्त बनाने हेतु सभी विकासखण्डों में मलेरिया मुक्त अभियान व मच्छरदानी वितरण, मलेरिया जागरूकता रैली व जागरूकता रथ का आयोजन किया गया जिसका बेहद ही प्रभावशाली असर देखने को मिला है। मलेरिया मुक्त अभियान एवं मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम ने जिले को मलेरिया मुक्त बनाने में इतिहास रच दिया, इन कार्यक्रमों के द्वारा जिले में मलेरिया परजीवी का दर पहली बार सबसे कम 0.02 प्रतिशत् तक पहुंच गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह ने बताया कि मलेरिया की बीमारी मादा ऐनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है, जब मादा एनाफिलिज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो पैरासाइट का अंश मच्छर के शरीर में ट्रान्सफर हो जाता है, इसके बाद जब संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो यह पैरासाइट व्यक्ति के शरीर में ट्रान्सफर हो जाता है तथा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है एवं उसमें 6 से 8 दिन बाद मलेरिया बीमारी के लक्षण दिखने प्रारम्भ हो जाते हैं, जिसमें तेज बुखार, थकान, सर दर्द, पेट दर्द, चक्कर, बेहोशी, एनीमिया, मासपेशियों में दर्द, उल्टी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने बताया कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिला वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है तथा पूर्व के वर्षों में मलेरिया के रोगी यहां व्यापक रूप से मिलते थे। परन्तु अब जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जा रहे स्वास्थ्य कैम्प तथा मलेरिया रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान, दवा उपचारित मच्छरदानी वितरण, मितानीन द्वारा गांव में ही मलेरिया जांच की सुविधा से मलेरिया के फैलाव को रोका गया है। जिले के विकासखण्डों में 3 लाख 39 हजार 514 नग दवा उपचारित मच्छरदानी का वितरण किया गया है, साथ ही 2 एपीआई से ऊपर वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में स्वास्थ्य कैम्प भी लगाया गया तथा डी.डी.टी. का छिड़काव भी किया गया जो कि जिले को मलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके साथ ही कलेक्टर की अध्यक्षता में मलेरिया उन्मूलन कमेटी का गठन करते हुए कार्ययोजना तैयार कर सभी विभागों के समन्वय कर किये गये प्रयासों से वर्ष 2022 में मलेरिया के केवल 73 रोगी मिले तथा परजीवी सूचकांक 0.08 प्रतिशत् पर आ गया।

ग्राम सभा का आयोजन 05 मई को

बलरामपुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर के द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पंजीकृत आवेदन पत्रों का, तहसीलदार द्वारा निराकरण उपरांत स्वीकृति/अस्वीकृत होने की दशा में ग्राम सभा द्वारा निराकृत किये जाने हेतु बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 05 मई 2023 को ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 2 (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। आयोजित ग्राम सभा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु केंद्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

नाला को पाटकर भू माफिया कर दिए प्लाटिंग, बढ़ी परेशानी

पंचायत प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर के अवराडुगु में स्थित शासकीय भूमि पर अति प्राचीन नाला को भू माफियाओं द्वारा बंद करने उपरांत प्लाटिंग करने किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की गंभीरता पर शिवनन्दनपुर पंचायत की सरपंच व वार्ड पंचों ने कलेक्टर को आज ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में शिवनन्दनपुर के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि जपनद पंचायत सूरजपुर के ग्राम पंचायत शिवनन्दनपुर के अवराडुगु बस्ती में भू माफियाओं द्वारा वर्तमान में कृषि मद की भूमि की अवैध तरीके से क्रय कर उसमें प्लाटिंग करने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर डीएमक्यू डबल स्टोरी कालोनी के पीछे खसरा क्रमांक 226, 207, 229, 261, 299 में उक्त भूमि स्थित है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि में ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर डीएमक्यू कालोनी एवं रेल्वे स्टेशन, कुंजनगर की संयुक्त बस्ती के जल एवं बारिस की पानी की निकासी उक्त नाले के माध्यम अबतक हो रहा था।वर्तमान समय में उक्त स्थल

पर प्लाटिंग कर कालोनाईजर एक्ट के विपरित उक्त भूमाफिया द्वारा जमीन खरीद ब्रिकी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थानिय लोगों के खिलाफ जाकर उनके पानी निकासी की व्यवस्था को बाधित करते हुए नाले का पूरी तरह से पटाई कराकर उसमें प्लाटिंग कर दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग किया है कि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित दोषी भूमाफिया के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। शिवनन्दनपुर पंचायत के वार्ड क्रमांक 16 के वार्ड पंच रामलाल सोनी ने बताया कि मामला काफी संवेदनशील है। सूचना पर पंचायत प्रतिनिधियों की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया था। इसके पश्चात जिला प्रशासन को उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है।जिला प्रशासन को जल्द ही उक्त मामले की जांच कराकर कार्रवाई करना चाहिए। वर्तमान में गांवों के पानी निकासी की व्यवस्था बंद हो गई है, जिससे भविष्य में स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा।

डीईओ ने प्राचार्यों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का किया अवलोकन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के सभाकक्ष में आज जिलेभर के प्राचार्यों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीईओ राम ललित पटेल द्वारा शाला प्रबंधन एवं शैक्षणिक गतिविधियों को जिले में सुचारू रूप से संचालित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया गया। जिसके तहत छात्रवृत्ति, नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, गणवेश प्राप्ति एवं वितरण, पाठ्य-पुस्तक, सरस्वती नि:शुल्क सायकल योजना आरटीई छात्रों के प्रवेश परीक्षा परिणाम (स्थानीय परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा) मरम्मत कार्य, नवीन शिक्षा सत्र की रूपरेखा, खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट गाईड, मुख्यमंत्री शाला जतन योजना एवं एसएमडीसी समिति के निर्धारण सहित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा एवं मार्गदर्शन दिया गया। बैठक में शरदेन्दु कुमार शुक्ला, आशीष भट्टाचार्य, मुकेश सिन्हा, सुरेश कुमार सोनवानी सहित जिलेभर के प्राचार्य उपस्थित थे।

संयुक्त टीम द्वारा रोका गया 05 बाल विवाह

बलरामपुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाईजर, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं चाईल्ड लाईन को जिले के क्षेत्रों में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा 03 बालिका एंव 02 बालक के निवास ग्राम में मौके पर पहुंचकर उक्त बालक/बालिका के जन्म संबंधी प्रमाण पत्र का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित बालक/बालिका का उम्र विवाह योग्य नहीं है। विवाह हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं होने पर माता-पिता एवं सगे संबंधियों को समझाईश देकर बाल विवाह होने से रोका गया। साथ ही वहां उपस्थित लोगों को बताया गया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु-मृत्यु दर एवं मातृ-मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। विवाह हेतु लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपये तक हो सकता है। इसके अलावा वर या कन्या बाल विवाह के पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो बालिग होने पर विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले वासियों से अपील की है कि लड़के का उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह करें। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होती है तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी मोबाइल नम्बर 9826278915 या टोल फ्री नम्बर 1098 पर कॉल करके एवं अपने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, शिक्षक, कोटवार, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पर्यवेक्षक एवं ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता को अविलंब सूचित करें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

श्रीमद भागवत में शामिल हुए नेता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ग्राम पंचायत गोकुलपुर के अंतर्गत दीया गढ़ के गोवर्धन पर्वत में भागवत महापुराण कथा में पहुंचे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू अष्टमी के दिन पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना किया तथा सभी क्षेत्र वासियों के लिए सुख समृद्धि एवं खुशहाली हेतु भगवान से प्रार्थना किया साथ में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला सचिव वागीशा देवांगन ब्लॉक अध्यक्ष समरथ प्रजापति जी उपाध्यक्ष संतोष दास ,विवेक प्रताप सिंह सूरज मनी सिम्मी मनी संजय दास एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पीकेसीएल में मनाया गया पृथ्वी दिवस

अंबिकापुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले के उदयपुर तहसील में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के परसा केते कोलियरी लिमिटेड (पीकेसीएल) साइट पर शनिवार को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अदाणी फाउंडेशन द्वारा पृथ्वी की रक्षा की आवश्यकता तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत, घाटबर्रा और अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर(एएसडीसी), साल्ही में रंगोली एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जिसमें घाटबर्रा के शासकीय स्कूलों के 100 से अधिक विद्यार्थियों एवं एएसडीसी की 20 प्रशिक्षुओं ने पृथ्वी की रक्षा के लिए अपने विचारों को चित्र के माध्यम से व्यक्त किया।

ड्राइंग प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 5 तक के समूह में अनुराधा अरमो ने प्रथम, प्रिंसी अरमो ने द्वितीय व गीता सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि कक्षा 6 से 10 तक के समूह में अनामिका अरमो ने प्रथम पुरस्कार, रेशमा मझवार ने द्वितीय पुरस्कार तथा रागिनी अरमो ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं रंगोली प्रतियोगिता के समूह में प्रथम पुरस्कार हरिहरपुर की दिलबसिया कुमारी और साल्ही की प्रेम कुमारी को दिया गया जिसमें उन्होने पृथ्वी का मानव जीवन में महत्व को दर्शाया। जबकि परसा की पार्वती और ज्योति ने दूसरा पुरस्कार जीता जिसमें पृथ्वी की विशेषताएं दिखाई गईं। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ का चित्रण करने वाली ग्राम हरिहरपुर तथा साल्ही की ही कुमारी धनेसिया और समिता को तीसरा पुरस्कार से नवाजा गया।

इस कार्यक्रम में पीकेसीएल से श्री आरएस दुबे (एचओडी सुरक्षा), श्री अवनीश चौहान (एचओडी पर्यावरण) और श्री अविनाश कुमार (उप प्रबंधक, पर्यावरण) ने अपनी उपस्थिति दी। अदाणी फाउंडेशन से श्री सौरभ सिंह, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से श्री अमित रॉय, श्रीमती प्रियंका सिंह और कुमारी जाह्नवी, कुमारी सुष्मिता, सावित्री अरमो और श्री नरेश ने कार्यक्रम के समग्र प्रबंधन में मदद की।

जिपं सदस्य ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की सुनी समस्याएं

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया। जिपं सदस्य ने ग्राम पंचायत संजयनगर, रविंद्रनगर व अजबनगर में पहुंचकर आमजनों से मुलाकात कर समस्याओं को जाना। ग्रामीणों द्वारा मुख्य रूप से सड़क व पेयजल की समस्या से अवगत कराया गया। जिपं सदस्य श्रीमती राजवाड़े को ग्रामीणों ने अवगत कराया कि सड़क की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, जिसके सुधार कार्य हेतु कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया किंतु अब तक कोई सुधार कार्य न होने से लोगों को आवागमन हेतु काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा यह भी अवगत कराया कि ग्रामों में पेयजल संकट से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिस पर जिपं सदस्य लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उक्त समस्याओं को लेकर जल्द ही कलेक्टर से चर्चा कर कार्य को पूर्ण कराने प्रयास किया जाएगा। यहां पर ग्रामीणों ने जिपं सदस्य को अवगत कराया कि वर्षभर पूर्व ग्राम पंचायत रविंद्रनगर निवासी श्यामल कीर्तनीया की पुत्री प्रतिमा कीर्तनया का सांप काटने से मौत हो गया था, लेकिन उनको आज पर्यंत तक आपदा राहत कोष से मुआवजा नहीं मिला है। जिस पर जिपं सदस्य ने ततकाल अधिकारियों से बात कर कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को राहत कोष से मुआवजा राशि मिल जाएगा। इस दौरान रविंद्रनगर सरपंच सरिता शंकर राय, अर्जुन यादव, विपिन यादव, बाबूलाल, संजयनगर उपसरपंच विष्णु समद्दार, विष्णु, हरीश, नरोत्तम चौधरी, शंकर राय, कन्हाई लाल विश्वास, तपन मंडल व अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

शो रूम व टावर संचालकों से कर दिलाने सीईओ को ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासन के मंशानुरूप ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित मोबाईल टावर व शो रूम संचालकों द्वारा पंचायत को कर का भुगतान नहीं किए जाने पर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सूरजपुर जनपद सीईओ को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर की सरपंच ने उल्लेख किया है कि ग्राम में चार पहिया वाहनों के शोरूम एवं टावर मालिकों के द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेखित है कि छग पंचायती राज अधिनियम 1993 की द्वारा 77 की उपधारा (1) एवं (2) के तहत तृतीय पंचायती राज्य संस्थाओं को अनिवार्य कर 1996 के अनुसार अपने क्षेत्र में लगाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर में चार क्रमश: महेद्रा स्टार ऑटोमोबाईल, नेक्सा (कार शोरूम), छग ऑटोमोबाईलस, टाटा मोटर्स, महेन्द्र ट्रेक्टर्स जो की सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा शोरूम है। साथ ही दो मोबाईल टावर वर्षों से संचालित हैं। सभी शोरूम तथा टावर वालों की कर भुगतान हेतु पंचायत के माध्यम से नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके आज तक उक्त शोरूम तथा मोबाईल टावर मालिकों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अविलंब निर्धारित कर का भुगतान कराए जाने की मांग की गई है।

जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न

आठ परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, 1300 परीक्षार्थी हुए शामिल

■ एकलव्य स्कूल में शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास की गतिविधियों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मोटिवेट किया जाता है

छ.ग. फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार 23 अप्रैल 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जशपुर जिले में 8 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। प्रवेश परीक्षा में जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु आयोजित परीक्षा में कुल 1502 में से 1300 परीक्षार्थी शामिल हुए, एवं 202 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण व्यवस्था, अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास की गतिविधियों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराते हुए विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने करने के उद्देश्य से जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 06 वीं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1502 विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया था। परीक्षा का आयोजन विकासखंड जशपुर के महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्च. माध्य. विद्यालय जशपुर, सरस्वती शिशु मंदिर उ. मा. वि. जशपुर में ,विकासखंड-कुनकुरी के शास. कन्या उच्च. माध्य. विद्यालय कुनकुरी, विकासखंड- कांसाबेल के शासकीय कन्या उच्च.माध्य. विद्यालय कांसाबेल, विकासखंड- पत्थलगांव के स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव, इंदिरा गांधी कन्या उच्च. माध्य. विद्यालय पत्थलगांव तथा विकासखंड-बगीचा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना में आयोजित किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 06 वीं में कुल 300 विद्यार्थियों को प्रवेश लिया जाना है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में परीक्षा में प्राप्त अंक के मेरिट के आधार पर विद्यालय का चयन कर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, कक्षाएं 15 जून से प्रारंभ होगी।

विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के 600 बच्चे कुपोषण से हुए मुक्त

■ पहाड़ी कोरवा 3500 बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में दो दिन बुधवार और शुक्रवार को दिया जा रहा है अंडा, आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता और सहायिका कर रही है गृह भेंट, चार परियोजना मनोरा, आस्ता, सन्ना, बगीचा के 232 आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिया जा रहा है अंडा

छ.ग. फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिला प्रशासन द्वारा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार के बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार और प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है। खनिज न्यास निधी मंद से सप्ताह में दो दिन बुधवार और शुक्रवार को अंडा वितरण किया जा रहा है जिले के लगभग 3500 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बच्चों को लाभ मिल रहा है। कुपोषण को दूर करने के लिए भी आंगनबाड़ी केन्द्र के पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा गृह भेंट करके पालको को जागरूक किया जा रहा है। और अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन आहार खिलाने की समझाईश दी जा रही है। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अरूण पाण्डे ने बताया कि कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के पहल से बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए चार परियोजना मनोरा, आस्ता, सन्ना, बगीचा के 232 आंगनबाड़ी केन्द्रों में अंडा वितरण की शुरूआत की गई है। जिले में अभियान चला करके लगभग 600 कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया गया है इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रो में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। और बच्चों के बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की जा रही है। और इसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है।

जिला अस्पताल में 25 अप्रैल को थायरॉइड विकार संबंधी नि:शुल्क ईलाज शिविर आयोजित

■ डॉ. चैतन्य थायरॉइड का करेंगे ईलाज

छ.ग. फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिला प्रशासन जशपुर एवं संगवारी संस्था अम्बिकापुर के संयुक्त प्रयास से 25 अप्रैल 2023 मंगलवार को जिला अस्पताल में थायरॉइड विकार संबंधी नि:शुल्क ईलाज एवं परामर्श शिविर प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक लगाया जा रहा है। शिविर में थायरॉइड विशेषज्ञ डॉ. चैतन्य के द्वारा थायरॉइड मरीजों का ईलाज और उन्हें परामर्श दिया जाएगा। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के सार्थक पहल से जिला चिकित्सालय में पहली बार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ने थायरॉइड संबंधी मरीजों को जिला चिकित्सालय में उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए कहा है।

1 लाख 43 हजार रूपये की ठगी करने वाले आरोपी को जशपुर पुलिस ने कोझिकोडे (केरल) से किया गया गिरफ्तार

आरोपी व्ही.आर.शशिधरन ने माह मई जून/2021 में उक्त अपराध को घटित किया था

■ थाना जशपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध था

छ.ग. फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अखिलेश कुमार वैष्णव उम्र 54 वर्ष निवासी कांसाबेल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके (प्रार्थी), अभय समीर एक्का तथा निकोलस लकड़ा से मोबाईल फोन से बात कर केरल में अपनी पत्नी एवं बच्चे की अस्वस्थता/बीमारी का हवाला देते हुए अपने बैंक के खाते में दिनांक 08.05.2021 से 30.06.2021 के मध्य कुल 1,43,000 (एक लाख तैंतालिस हजार रूपये) धोखाधड़ी कर डलवाकर लिये हुये पैसे को वापस नही कर धोखाधड़ी कर पैसा लेने तथा वापस नही करने के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। यह कि आरोपी व्ही. आर शशिधरन कुछ दिन पूर्व जशपुर में रहकर ठेकेदारी का कार्य करता था, इसी दौरान उनका परिचय प्रार्थीगणों से हुआ था। विवेचना दौरान प्रार्थी द्वारा पेश किये गये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित दस्तावेज तथा प्रार्थी व गवाहों का कथन एवं आरोपी के खाता का बैंक डिटेल प्राप्त किया गया जिसमें आरोपी के द्वारा अपराध घटित करने के संबंध में सबूत पाये जाने तथा आरोपी को उसके सकुनत वडक्कायिल पलक्काडावू थाना थिरूवम्बाड़ी जिला कोझिकोडे केरल में दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी व्ही. आर शशिधरन उम्र 71 वर्ष निवासी वडक्कायिल पलक्काडावू थाना थिरूवम्बाड़ी जिला कोझिकोडे केरल को दिनांक 21.04.2023 को गिरफ्तार कर थाना थिरूवम्बाड़ी के सम्बंधित माननीय न्यायालय जे. एफ.सी. एम. द्वितीय न्यायालय थमारासेरी केरल से विधिवत ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया है बाद गठित टीम उप निरी. के.पी. सिंह, प्रधान आरक्षक 37 राजू पाण्डे, आर. 217 बसंत खुटिया के द्वारा वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर के नेतृत्व में आरोपी को केरल से जशपुर लाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरी. के.पी. सिंह, प्रधान आरक्षक 37 राजू पाण्डे, आर. 217 बसंत खुटिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर सुनी, मांग एव समस्याएं, संबंधित विभाग को जांच कर निराकरण के दिए निर्देश

छ.ग. फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में 20 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने जिले के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोगों से बारी-बारी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और आवश्यकताओं को सुना। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए सभी आवेदकों की समस्याओं को उन्होंने पूरी गंभीरता व विनम्रता से सुनते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। आज के जनदर्शन में बेजा कब्जा, पानी की समस्या, जमीन बंटवारा, जमीन रजिस्ट्री, राशन कार्ड, फौती प्रकरण, सोलर स्थापना की मांग, राजस्व प्रकरण जैसे आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदन का जांच कर संबंधित विभाग को निराकरण करने निर्देशित किया। उन्होंने राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान कार्ड आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए।

जनहानि के 1 मामले में प्रभावित परिजन हेतु 4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

छ.ग. फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने प्राकृतिक आपदा में हुए जनहानि के 1 मामले में प्रभावित परिजन हेतु आरबीसी 6-4 के तहत 4 लाख की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। जिसके अंतर्गत लोदाम विकासखण्ड के निवासी स्व. बिहानी भगत की कुआं के पानी में डूबने से 31 अक्टूबर 2022 को मृत्यु हो जाने के कारण मृतिका के निकटतम वारिस मृतिका के पुत्र मुन्ना राम भगत हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हैं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शशिकांत सिंह आ0 हुसैनीराम जाति कंवर, निवासी ग्राम/नगर चिरंगा तहसील चिरंगा जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम लक्ष्मीपुर, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 266/3 रकबा 0.040 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ0ग0)
क्रमांक/ वाचक/व्यपवर्तन/2023
पत्थलगांव, दिनांक 28.03.2023
उदघोषणा
एतद द्वारा समस्त आम जनता ग्राम बटुराकछार प.ह.नं. 03, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सजन कुमार पिता हरफुलदास जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम पत्थलगांव तहसील पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) के द्वारा ग्राम बटुराकछार प.ह.नं. 03 स्थित ख. नं. 123/3 रकबा 0.3.922 हें0 में से 1.618 हे, 16180 वर्गमीटर आवेदित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ के लिये व्यपवर्तन कराये जाने हेतु, मय आवेदित भूमि के नक्शा, खसरा, बी-1, एवं रजिस्ट्री की छायाप्रति सहित छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त मामले कि सुनवाई दिनांक 19.04.2023 को स्थान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव के न्यायालय में न्यायालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 तक होना नियत किया गया है, अतः इसमें जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे नियत दिनांक/समय/स्थान को मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त किसी भी दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सक्षम प्राधिकारी पत्थलगांव,
जिला जशपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)
राजस्व प्रकरण क्र. /ब-121/2022-23
ईश्तहार
आवेदक/आवेदिका का नाम मोतीलाल आ0 स्व0 चिन्तामन जाति चमार निवासी पेण्डरखी ग्राम पेण्डरखी प0ह0नं0 29 तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 ने चिंतामन आ0 अलगू राम जन्म/मृत्यु दिनांक 17/09/2016 का जन्म/मृत्य प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रांरभ कर दी गई है। इस संबंध में जिस किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 25/04/2023 मंगलवार को समय 11:00 बजे इस न्यायालय में अपना स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 10/04/2023 को जारी किया जाता है।
तहसीलदार
सूरजपुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शहनाज बेगम पत्नी शौकीन मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी ग्राम/नगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 2494/10 रकबा 0.012 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र, सेटलमेंट की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राज. कुमार अग्रवाल आ0 रामनिवास अगवाल जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम/नगर रिंग रोड़ महामाया नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 484/64 रकबा 0.062 हे0 में से 0.022 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम रूप अग्रवाल आ0 रामेश्वर अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम/नगर दरिमा मोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम श्रीगढ़, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 276/23 रकबा 0.223 हे. भूमि को कृषि भिन्न, औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रणय सिंह आ0 देवेन्द्र प्रताप सिंह जाति कंवर, निवासी ग्राम/नगर बैरीपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम मायापुर, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 243/2 रकबा 0.009 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र, सेटलमेंट, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेन्द्र यादव आ0 देवनन्दन यादव जाति अहिर, निवासी ग्राम/नगर टाटीझरिया तहसील कुसमी जिला बलरामपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम फुन्दुरडिहारी, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 198/28 रकबा 0.020 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक खुर्शीद अंसारी पिता मोहम्मद रमजान अंसारीजाति जुलाहा, निवासी ग्राम/नगर गंगापुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 1788/5, 1789/180 रकबा 0.004, 0020 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जिबनुस एक्का आ0 बेनेदिकच एक्का जाति उरांव, निवासी ग्राम/नगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम फुन्दुरडिहारी, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 276/32 रकबा 0.024 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिव शंकर गोयल, विष्णु प्रसाद गोयल आ0 रामनिवास जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम/नगर मनीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 4248/2, 4249/2 रकबा 0.024, 0.030 हे0 में से 0.004, 0.010 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामकुमार अग्रवालआ0 रामनिवास अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम/नगर रिंग रोड़ महामाया नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 484/64 रकबा 0.062 हे0 में से 0.040 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राज. कुमार अग्रवाल आ0 रामनिवास अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम/नगर रिंग रोड़ महामाया नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 593/12 रकबा 0.0116 हे. भूमि का पूर्व में आवासीय व्यपवर्तन किया जा चुका है उक्त भूमि को कृषि भिन्न, व्यवसायि प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन लिए बी-1, खसरा, व्यपवर्तन प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र. /अ-2/2022-23
ईश्तहार
एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्यामलाल राजवाड़ें पिता बसंत राम राजवाड़े जाति रजवार, निवासी ग्राम/नगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 4887/15 रकबा 0.016 हे. भूमि को कृषि भिन्न, आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 10.05.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 24.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

चिंतन

कौशल व दक्षता आधारित शिक्षा भविष्य की जरूरत

राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अहम भूमिका शिक्षा की है। शिक्षित व्यक्ति ही विवेकशील व तर्कपूर्ण समाज का निर्माण करता है। शिक्षा जहां मानव का समग्र विकास करती है, वहीं वह वक्त व बाजार की जरूरत के अनुरूप दक्ष भी बनाती है। जैसे-जैसे विकासक्रम बदलता है, वैसे-वैसे शिक्षा का पैटर्न भी बदलता है। आज 21वीं सदी में विश्व की जरूरत बदल रही है, ऐसे में इस बदलाव के अनुरूप ही शिक्षा में भी परिवर्तन होना चाहिए। आज के युग में परंपरागत डिग्री बहुत उपयोगी नहीं रह गई है, बल्कि स्किल बेस्ड शिक्षा अधिक उपयोगी हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जी-20 कार्य समूह की बैठक से पहले कहा है कि 'डिग्री' के बजाय कौशल और दक्षता भविष्य को संचालित करेगी तथा नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के चलते पुरानी नौकरियां खत्म होनी शुरू हो गई हैं और नई नौकरियां सृजित हो रही हैं। मानव बुद्धिमत्ता की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया है। मौजूदा युग डिजिटल क्रांति का है, इसलिए शिक्षा के पैटर्न में भी डिजिटल स्किल को समावेश करने की आवश्यकता है। अभी अगर बाजार को देखें, तो डिजिटल क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, सभी क्षेत्र की कार्यप्रणाली को डिजिटल सिस्टम बदल रहा है। चालू सदी डिजिटेक, बायोटेक व नैनो टेक की है, इसलिए शिक्षा भी इन क्षेत्रों के अनुरूप होनी चाहिए। डिजिटल क्रांति ने दिखाया है कि अब ट्रेडिशनल डिग्री की उतनी अहमियत नहीं है, अगर कार्यबल स्किल्ड है। आज आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (मशीन लर्निंग), आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स, एमएस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग आदि ऐसे स्किल बेस्ड लर्निंग हैं, जिसमें दक्षता हासिल करना किसी भी ट्रेडिशनल डिग्री की अपेक्षा अधिक रोजगारोन्मुखी है। नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के चलते नई नौकरियां उभरती जाएंगी, इसलिए कार्यबल को लगातार कौशल प्रदान करने, दोबारा कौशल प्रदान करने और अतिरिक्त कौशल बढ़ाने की जरूरत है। यह रास्ता स्किल बेस्ड शिक्षा से ही निकलेगा। अपने प्रतिभा, बाजार एवं संसाधनों के एक नैसर्गिक केंद्र के रूप में भारत 21वीं सदी की वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इंटरनेट और वैश्विक कनेक्टिविटी ने हमें वैश्विक जरूरतों के बारे में सोचने का एक अवसर दिया है। जी-20 सम्मेलन भारत के लिए एक मौका है, जिसमें वह अपनी मानव संसाधन क्षमता को संप्रेषित कर सकता है। आज भारत को अपने विशाल उच्च शिक्षा संसाधनों का इस्तेमाल परंपरागत डिग्री के बजाय स्किल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए करना चाहिए। भारत में कौशलयुक्त व दक्ष कार्यबल का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बनने के बाद सरकार पर महती जिम्मेदारी है कि वह भारत के कार्यबल का अधिक से अधिक सदुपयोग करे। इसके लिए भारत चीन से सीख सकता है। चीन ने अपने 95 फीसदी कार्यबल का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण व वेल्थ क्रिएशन में किया है। आने वाले कुछेक दशक में भारत के पास सबसे अधिक युवा कार्यबल होगा, जबकि चीन इस मामले में पिछड़ जाएगा, इसलिए भारत को अपने कार्यबल को मौजूदा जरूरत के मुताबिक अधिक शिक्षित, प्रशिक्षित, कौशल व दक्ष बनाते रहने के लिए सतत एजुकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर व शैक्षिक तंत्र का निर्माण करना चाहिए।

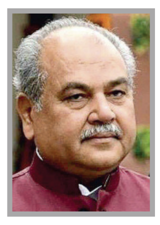

पंचायती राज दिवस

नरेंद्र सिंह तोमर

पंचायती राज संस्थाओं के अथक परिश्रम के बल पर हम ग्रामीण स्तर पर सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर हुए हैं। इसमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त गांव, स्वथ्य गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर अधोसंरचना से युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासित गांव एवं महिला हितैषी गांव बनाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। भारत सरकार के 21 संबद्ध मंत्रालयों के 26 विभागों के साथ ही राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पंचायती राज संस्थाएं इस लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करने की दिशा में तेजी से चल पड़ी हैं।

गांव के विकास में एक 'नया अध्याय'

राष्ट्र का चतुर्दिक विकास, सर्ववर्ग का कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत का मान, यह एक ऐसी त्रिवेणी है जो आजादी के इस अमृतकाल में हमें भारत भूमि पर फूटती दिखाई दे रही है। यह भारत उत्थान का एक नया अध्याय है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में आजादी के इस अमृतकाल में लिखा जा रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो विगत 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में भारत के उत्कर्ष, नव उदय और उत्थान के वे स्वर्णिम अध्याय हैं जो भविष्य के आत्म निर्भर भारत की बुनियाद बन रहे हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद के आगामी 25 वर्ष के समय को 'अमृत काल' की संज्ञा दी गई है। इस अमृतकाल में हमारी पंचायती राज व्यवस्थाओं का भी सशक्तिकरण इस प्रभाव के साथ हुआ है कि लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई हमारी 'ग्राम पंचायतें' आज सबसे सशक्त संस्था के रूप में उभरते हुए ग्रामीणों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्रदान करने के साथ ही सेवा प्रदाता के रूप में भी अपनी बेहतर भूमिका निभा रही हैं।

24 अप्रैल 2023 को हम त्रिस्तारीय पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने की 30 वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। यह तीन दशक पंचायती राज व्यवस्था के लिए कई मायनों में महत्पूर्ण रहे हैं। विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने यह प्रयास किया है कि ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 3 एफ- फंड (निधि), फंक्शन (कार्य) और फंक्शनरी (पदाधिकारी) का सीधा हस्तांतरण पंचायत स्तर पर करके उन्हें एक सशक्त स्वायत्त शासी संस्था के रूप में विकसित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 तक अधिक समानतावादी, अधिक संपन्न और अधिक संरक्षित विश्व बनाने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरी दुनिया में हासिल करने का संकल्प लिया है। भारत भी इस संकल्प में एक हस्ताक्षरकर्ता है। चूंकि भारत की लगभग 68 फीसदी आबादी गांवों मे निवास करती है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। पंचायती राज संस्थाओं के अथक परिश्रम के बल पर हम ग्रामीण स्तर पर सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर हुए हैं। इसमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त गांव, स्वथ्य गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर अधोसंरचना से युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासित गांव एवं महिला हितैषी गांव बनाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। भारत सरकार के 21 संबद्ध मंत्रालयों के 26 विभागों के साथ ही राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पंचायती राज संस्थाएं इस लक्ष्य को समय से पूर्ण प्राप्त करने की दिशा में तेजी से चल पड़ी हैं। अमृतकाल में उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक है और इसके परिणाम गांवों के विकास में एक नया अध्याअय लिखेंगे। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, राज्यों के राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालित यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली योजना है। ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र

के हर घर का नक्शा तैयार किया जा रहा है। अब तक गांवों में रहने वाले लोगों के पास उनके मकानों के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं था। स्वामित्व योजना के माध्यम दे दिया जा रहा संपत्ति कार्ड ग्रामीणों को 'अभिलेख का अधिकार' प्रदान करता है। अब तक देश में सवा करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार होने की उपलब्धि पर 24 अप्रैल 2024 को रीवा में प्रधानमंत्री जी मध्यप्रदेश के 9 लाख ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता से इसी दिशा में कृषि मंत्रालय 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए तीन किस्तों में किसानों को प्रदान कर रहा है। अब तक देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को 2.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट यानि श्रीअन्न (मोटा अनाज) अत्यधिक पौष्टिक है। श्री अन्न की खेती छोटे एवं मझोले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक बड़ा साधन बनेगी। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए 60 हजार करोड़ रु., किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए 23 हजार करोड़ रु., डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को बढ़ावा देने के लिए 450 करोड़ रु. तथा टेक्नोलॉजी द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के संबंध में लगभग 600 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए इस साल बजट में 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगामी 3 वर्षों में देश के 1 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। छोटे-मझौले किसानों को एफपीओ के जरिए संगठित करते हुए उन्हें खेती-किसानी से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 10 हजार नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखकर कृषि विभाग के साथ समन्वय से किसानों के कल्याण में यह कार्य कर रही हैं।

विगत 9 वर्षों में ग्रामीण भारत के परिदृश्य में अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। कई गांव आज अपने सुनियोजित विकास के बल पर शहरों से टक्कर लेने की स्थिति में आने लगे हैं। जो सड़कें गांव से शहर की ओर जाती थीं, आज वे शहरों से गांव की ओर भी लौट रही हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था हर गरीब का अपना पक्का मकान हो। अब तक लगभग 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अपनी छत दिलाने का संकल्प पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना को और तेज गति देते हुए इस साल इसका बजट करीब 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रु. किया गया है।

प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल 2022) को अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया था। एक वर्ष में इस दिशा में भगीरथी प्रयास पंचायतों एवं अन्य हितधारकों के द्वारा किए गए और परिणामस्वरूप अब तक लगभग 40 हजार अमृत सरोवर देशभर में बन कर तैयार हो गए हैं, जो कि लक्ष्य का 80 प्रतिशत है।

'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भरता से युक्त एक ऐसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर रहे हैं जहां सभी के लिए समान अवसर हों। अमृतकाल में सशक्त होती हमारी पंचायती राज व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि शक्तियों का हस्तांतरण जमीनी स्तर पर किया गया है और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में पंचायतों ने भी पूर्ण पारदर्शिता और प्रभाव के साथ गांवों के विकास में अपनी गंभीरता दिखाई है।

(लेखक केंद्रीय कृषिमंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष

डॉ. अशोक कुमार जायसवाल

पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र का आधार

पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास का उल्लेख आजादी के इस अमृत काल से लगभग 4000 ई. पूर्व भारत के वेदों, ग्रन्थों एवं काव्यों में मिलता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था स्वंतत्रता के पश्चात ही दृष्टि गोचर हुआ। पंचायतीराज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा वैदिक काल से भी पूर्व की है। वैदिक काल में तत्कालीन राजा पंचायतों के माध्यम से राज कार्य का दायित्व निर्वहन करते रहे। इस दौरान ग्राम का प्रमुख ग्रामीण होता था जो पंचायतों का प्रमुख था। बौद्ध काल में ग्राम परिषदों की स्थापना की गई, मौर्यकाल में पंचायतों का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गया, गुप्त काल में ग्रामसभा का प्रमुख ग्रामीण होता था, राजपूत काल में पंचायतों का महत्व घट गया और सामन्तों का अधिकार एवं सत्ता आ गई, मध्यकाल के दौरान राज्य की सबसे छोटी ईकाई गांव थी, मुगलकाल में गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, दसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दक्षिण में पंचायतें पूर्ण अस्तित्व में थीं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की शासन प्रणाली को तहस-नहस करने में सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था को चुना गया, परन्तु यह शासन प्रणाली टूटी नहीं और उसका स्वरूप बिरादरी ने ले लिया अंग्रेजों ने पंचायत के महत्व को समझा और 1920 ईसवी में सभी प्रान्तों में पंचायत अधिनियम पारित कर उसे सीमित अधिकार के साथ क्रियान्वित किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा विक्रेन्द्रीकरण के लिए रॉयल समिति का गठन किया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 25 वें अधीवेशन 1910 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से पंचायतों की स्थापना की मांग रखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के दबाव में आकर विभिन्न प्रान्तों में पंचायतों के अधिकार को लागू किया यथा-बंगाल स्थानीय सरकार अधिनियम 1919, मद्रास स्थानीय सरकार अधिनियम 1920, बंबई पंचायत अधिनियम 1920, उत्तरप्रदेश पंचायत अधिनियम 1920, बिहार स्व-सरकार अधिनियम 1920, सी.पी. पंचायत अधिनियम 1920, पंजाब पंचायत अधिनियम 1922, असम स्व-सरकार अधिनियम 1925, मैसूर पंचायत अधिनियम 1928, लाल, बाल, पाल, सुभाषचन्द्र बोस, दादाभाई नौरोजी, महात्मा-गांधी ने पंचायतों के गठन एवं ग्राम विकास के लिए विभिन्न आंदोलन किए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 ई. में शांति निकेतन में ग्रामीण सुधार की दिशा में ग्रामीण विकास एवं बाल शिक्षा प्रारंभ की, महात्मा गांधी नें 1932 में सेवा ग्राम से ग्रामीणों के स्वालंबन के लिए योजनाओं का सूत्रपात किया। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में पंचायतीराज की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है संविधान का अनुच्छेद 40 "राज्य पंचायतों के स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हे ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्ययक है।

भारत में लोकतांत्रिक विक्रेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायतीराज की स्थापना एवं सामुदायिक विकास की शुरूआत 1952 में 02 अक्टूबर से प्रारंभ की गई, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंड़ित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की। 11 अक्टूबर 1959 को पंड़ित नेहरू नें आंध्रप्रदेश में इसका सूत्रपात किया। आंध्रप्रदेश में यह त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली थी, इसके बाद 1960 में असम, मद्रास कर्नाटक सन 1962 में महाराष्ट्र, सन 1964 में पश्चिम बंगाल और इसके बाद दूसरे राज्यों में प्रारंभ हुआ। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की स्थापना तथा स्थानीय प्रशासन को उत्कृष्ट बनाएं रखने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को और प्रभावी बनाने के लिए अशोक मेहता समिति, राव समिति एवं सिघवीं समिति का गठन किया।

वर्ष 1989 में भारत सरकार ने संविधान के भाग-09 में पंचायतों को शामिल करने के लिए लोकसभा में 64 वें संविधान संशोधन विधेयक को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो पारित नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने 1991 में 72वें संशोधन को पेश किया, जिसे 22 दिसंबर 1992 को स्वीकृति दी गयी, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इस संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की तत्पश्चात 17 राज्यों की विधान सभाओं ने इस विधेयक का समर्थन किया। पंचायतीराज आधुनिक भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन आधुनिक भारत के इतिहास में मिल का पत्थर है, प्रदेश के 27 जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों एवं 11656 ग्राम पंचायतों में बसे ग्रामीण परिवार तेजी से विकास के नये कीर्तिमान गढ़ रहे है, इसके लिए प्रदेश सरकार के साथ मिलकर पंचायतों ने कड़ी मेहनत की है। 73वें संविधान संशोधन के 03 वर्ष पश्चात अनुसूचित क्षेत्रें में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 लागू किया गया। प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत पंचायत अनुसूचित क्षेत्रें में आती है।

ई–गवर्नेस के द्वारा पंचायतों को सशक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को देश में वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 में लगातार द्वितीय ई–पंचायत पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ई–पंचायत की उपलब्धियों के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रदेश के सभी 11656 ग्राम पंचायत के संरपच एवं सचिवों को जोड़ा गया है। ई–ग्रामस्वराज मोबाइल एप्प द्वारा कार्य आधारित लेखाकंन का संपूर्ण विवरण ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन जनसामान्य हेतु उपलब्ध किया गया है। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी द्वारा प्रदेश के समस्त 20588 ग्रामों को एल.जी.डी. कोड द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा गया है, इस डायरेक्टरी से ई–पंचायत के समस्त अनुप्रयोगों को देखा जा सकता है।

-ठाकुर प्यारेलाल, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान संकाय सदस्य (पंचायती राज) निमोरा, रायपुर (छ.ग.)

मन को स्थिर रखना ही है जीवन का सूत्र

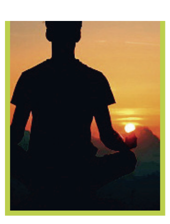

संकलित

दर्शन

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असत दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छापूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्रा में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रतिक्रिया से हर दम चिंता में डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो, जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी न कर सके और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला न हो सके।

सफलता मिले तो अहंकार न करें

संकलित

प्रेरणा

रामायण और महाभारत में परशुराम का जिक्र है। रामायण में परशुराम जी और श्रीराम की भेंट हुई थी, उस समय परशुराम गुस्से में थे और श्रीराम ने उनका गुस्सा शांत किया था। रामायण में सीता जी कार हो रहा था। स्वयंवर शर्त पूरी करने के लिए श्रीराम ने धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तभी धनुष टूट गया। इसके बाद स्वयंवर में परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी को देखकर स्वयंवर में मौजूद सभी राजा डर गए।परशुराम जी ने देखा कि धनुष टूटा हुआ है तो वे गुस्सा हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस व्यक्ति ने ये धनुष तोड़ा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंवर में बैठे हुए राजा आपस में बातें करने लगे कि अब ये दो राजकुमार (राम और लक्ष्मण) नहीं बचेंगे। परशुराम को गुस्से में देखकर लक्ष्मण आगे आए। लक्ष्मण भी गुस्सा हो गए। दोनों की बहस होने लगी। तब श्रीराम ने दोनों की शांत किया। परशुराम जी से सभी डरते थे। पूरा दरबार मौन था। परशुराम जी ने श्रीराम से कहा कि अगर तुम इतने समर्थ हो तो मेरे शस्त्रों को चला कर बताओ। परशुराम जी कुछ और कहते इससे पहले ही उनका फरसा और धनुष खुद ही श्रीराम के पास पहुंच गए। श्रीराम का शांत स्वभाव और उनके पास अपने धनुष-फरसे को देखकर परशुराम समझ गए कि राम अवतार हो चुका है। अब मेरे अधूरे काम राम पूरे करेंगे, अधर्म का नाश करके, धर्म की स्थापना करेंगे। इस घटना के बाद परशुराम बिल्कुल शांत हो गए और वहां से चले गए।

अंतर्मन

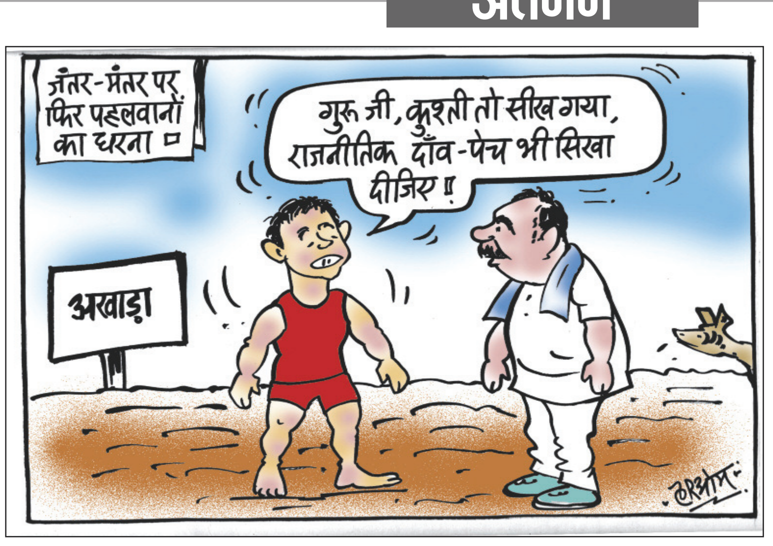

आज की पाती

जनसंख्या वृद्धि को रोकें

इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि देश जून 2023 में जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर उससे आगे हो सकता है, यानी भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। जनसंख्या की बढ़ोतरी के लिए क्या जनता को ही दोषी ठहराया जा सकता है? या फिर जनता और सरकार दोनों को? ऐसा लगता है कि जनता और आती–जाती सरकारें दोनों को ही दोषी ठहराया जा सकता है। देश की आजादी के कुछ साल बाद परिवार नियोजन पर सरकार ने तवज्जो देना शुरू किया और देश इसमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा। एमरजेंसी के दौरान भी परिवार नियोजन जोरों से चलता रहा, लेकिन कुछ ज्यादतियां होने की शिकायतों की वजह से रफ्तार धीमी पड़ गई। अब अनिवार्य रूप से जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। *– पीयुष गोयल, रायगढ़*

करंट अफेयर

ताइवान के विदेश मंत्री बोले 2027 में हमला करेगा चीन

ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने दावा किया है कि चीन उनके देश पर 2027 तक हमला कर देगा। चीन से लगातार मिल रही धमकियों के बीच वू ने एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, 'हम चीन की मिलिट्री के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। हमें लग रहा है कि 2027 वो साल होगा जब हम पर हमला हो सकता है। ताइवान इस लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है।' उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान को उन्हीं के जैसी विचारधारा वाले देश ही चीन के हमले से बचा पाएंगे। यहां अपने जैसी विचारधार से उनका मतलब ब्रिटेन और अमेरिका से है। जो ताइवान को सैन्य सहायता देते रहे हैं। ताइवान के विदेश मंत्री का ये बयान तब आया है जब चीन के विदेश मंत्री किन गैंग ने कहा था कि जो ताइवान के मामले में आग से खेल रहे हैं, वो खुद को ही जला लेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि चीन कभी भी किसी ऐसी बात को नहीं मानेगा जिससे उनकी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हो। वहीं, ताइवान के विदेश मंत्री से पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न ने भी दावा किया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सेना को 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं।

ऑफ बीट

प्राचीन डीएनए स्वाहिली लोगों की कर रहा है पुष्टि

मध्यकालीन स्वाहिली सभ्यता की विरासत पूर्वी अफ्रीका में असाधारण गौरव का स्रोत है, जो केन्या, तंजानिया और यहां तक कि युगांडा और रवांडा जैसे अंतर्देशीय देशों की आधिकारिक भाषा में परिलक्षित होती है, हिंद महासागर के तट से दूर जहां संस्कृति लगभग दो सहस्राब्दी पहले विकसित हुई थी। इसके अलंकृत पत्थर और मूंगा क्षेत्र तट के 2,000 मील (3,200 किलोमीटर) तक फैले है, और इसके व्यापारियों ने अफ्रीका और समुद्र के पार की भूमि : अरब, फारस, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के बीच आकर्षक व्यापार में मुख्य भूमिका निभाई। दूसरी सहस्राब्दी के अंत तक, स्वाहिली लोगों ने इस्लाम को गले लगा लिया, और उनकी कुछ भव्य मस्जिदें अभी भी केन्या में लामू और तंजानिया में किलवा के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर खड़ी हैं। 1500 के दशक में पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के बाद स्व–शासन समाप्त हो गया, बाद में नियंत्रण ओमानिस (1730–1964), तांगानिका में जर्मन (1884–1918) और केन्या और युगांडा (1884–1963) में ब्रिटिश में स्थानांतरित हो गया। स्वतंत्रता के बाद, तटीय लोगों को सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर के आधुनिक राष्ट्रों में समाहित कर लिया गया।

ट्रेंड

खिलाड़ियों को माहौल देंगे

खेलो इंडिया के 5 साल पूरे होने के मौके पर हम खेल प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने में इस पहल द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करते हैं। हमारी सरकार भारत में खेलों के फलने-फूलने के लिए आदर्श माहौल तैयार करना जारी रखेगी।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

चेतना की शक्ति

एक उल्लेखनीय संत जो भक्ति के प्रकाश से जीते थे। अपनी निःस्वार्थ भक्ति और स्पष्ट ज्ञान के माध्यम से, बसव मानव चेतना की शक्ति के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि

पंजाब की आप सरकार किसी भी हालत में पंजाब की शांति भंग नहीं होने देगी। लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने दिखा दिया कि ज़रूरत पड़ने पर लोगों के लिए हम सख्त से सख्त कदम लेने की भी हिम्मत रखते हैं। सब शांति बनाये रखें।

-संजय सिंह, आप सांसद

खुद पर ध्यान दें

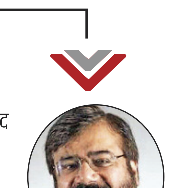

तुम्हे करना चाहिए। खुद पर ध्यान दें। अपने सपनों के लिए काम करें। आप खुद कीजिए। आप जो हैं उसके लिए खुद को स्वीकार करें। दूसरों से ध्यान आकर्षित करने के लिए जीना या अपने जीवन को उनकी स्वीकृति के अनुसार जीना, आप लंबे समय में केवल खुद को दुखी करेंगे।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन सूरजपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

/ / लोक–सूचना / /

(अधिनियम की धारा 3(छः) की उपधारा (3) के साथ पाठित धारा 3(घ) के अधीन अधिसूचना का पत्रक)

सूरजपुर, दिनांक ....

क्रमांक ..../वाचक–1/2023 केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3(क) की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5551 (अ) दिनांक 30 नवम्बर 2022 जो भारत का राजपत्र, असाधारण भाग–2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के लटोरी तहसील में, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 के कि.मी. 356.867 से कि.मी. 357.913 तक (जयनगर रेलवे क्रॉसिंग AB-72 में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण पहुँच मार्ग सहित) के भू–खण्ड का निर्माण, अनुरक्षन, प्रबंधन और प्रचालन से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3(क) की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 10 दिसम्बर 2022 को समाचार पत्र ''अम्बिकावाणी'' और ''रिहंद टाईम्स'' दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों का अननुज्ञात कर लिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये भू–अर्जन की घोषणा की है।

और अधिनियम की धारा 3(घ) के अधीन अधिसूचना की घोषणा भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2 संख्या का.आ. 724(अ) दिनांक 16 फरवरी 2023 में प्रकाशित किया गया था।

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

और अब, अधिनियम की धारा 3(छः) की उपधारा (3) के अनुपालन में सक्षम अधिकारी एतद् द्वारा इस कार्यवाही के अधीन अधिग्रहित की जाने वाली भूमियों से संबंधित भू–स्वामियों/इच्छुक व्यक्तियों से संलग्न अनुसूची में उल्लेखित भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर के न्यायालय/कार्यालय में लोक सूचना **दो स्थायनीय समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक 15 दिवस** के भीतर सूचना आमंत्रित करती है।

अधोलिखित अनुसूची में भू–स्वामी/इच्छुक व्यक्ति को एतद् द्वारा उक्त भूमि से संबंधित अपने दावा (उनकी हिस्सेदारी/क्षेत्रफल/परिसम्पत्ति तथा भवन/वृक्ष आदि और उनके हितो की प्रकृति से संबंधित दावा अभिलेखों सहित) प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जाता है। उक्त भू–स्वामियों/इच्छुक व्यक्तियों को इसके अतिरिक्त जिस खाते में उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना है, ऐसे बैंक खाता की जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया जाता है। दावे निम्नलिखित सांकेतिक प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकते है :–

ग्राम/शहर का नाम	भू–स्वामी/इच्छुक व्यक्ति का नाम	भूमि खसरा संख्या	उनके हिस्से की भूमि का क्षेत्रफल	भूमि पर स्थित संरचना/वृक्ष/ट्यूबवेल/कुँआ	भू–स्वामी/इच्छुक व्यक्ति के बैंक एवं शाखा का नाम जिसमें उनका खाता परिचालित	बैंक की जानकारी खाता संख्या क्र. उस बैंक शाखा की IFSC कोड

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के तहसील लटोरी में कटनी-गुमला **NH-43** के कि.मी. **356.867** से कि.मी.**357.913** तक (जयनगर रेलवे लेवल क्रॉसिंग AB-72 में रेलवे ब्रिज निर्माण पहुँच मार्ग सहित) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य क नाम: छत्तीसगढ़ जिले का नाम: सूरजपुर

क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृती	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लटोरी				
	गांव का नाम: जयनगर				
1	1327	सरकारी	शासकीय	0.0040000	शासकीय भूमि (1327)
2	1347	निजी	असिंचित कृषि	0.0260000	रामप्रसाद, नागेश्वर, जुगेश्वर, हरिशचन्द्र, कपिल चन्द आ. हिरालाल, विमला, कमला आ. हिरालाल, मु. इन्द्रकुंवर बेवा हिरालाल, भुनेश्वर, लालचन्द आ. बालगोविन्द, राजकुमारी, रामकुमारी आ. बालगोविन्द, मु. गुलाबी बेवा बालगोविन्द, साकी. कैलाशो आ.बिरबल, राजू आ. जदू, मुनिया, झमको आ. जदू जाति पनिका (1347)
3	1349	निजी	असिंचित कृषि	0.0190000	परशु राम पिता रामप्रसाद जाति लोहार (1349)
4	1351/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0130000	रज्जाक पिता नियामत जाति मुसलमान (1351/1)
5	1351/2	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0060000	सैफुल्लाह पिता रियाजुद्दीन जाति मुसलमान (1351/2)
6	1351/3	निजी	असिंचित कृषि	0.0030000	मो. कलीम पिता मो. हबीब (1351/3)
7	1351/4	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	मो. अबरार पिता जब्बार (1351/4)
8	1354/1	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0110000	मो.शमीम पिता निजामुद्दीन (1354/1)
9	1354/2	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0050000	मो.शमीम पिता निजामुद्दीन (1354/2)
10	1355/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0080000	श्रीमती बसंती पति राजकिशोर (1355/1)
11	1355/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0080000	बेला राम पति ढरकू राम जाति बिंझिया (1355/2)
12	1391	सरकारी	शासकीय भूमि	0.0040000	शासकीय भूमि (1391)
13	1508	निजी	असिंचित कृषि	0.0060000	अजीमुद्दीन पिता मुजीबुद्दीन (1508)
14	1510	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	मो. गुलखान, रमजान खान पिता अमिर हजमा (1510)
15	1511/2	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0020000	मो.जसीम पति मोहिउद्दीन मोहरामी बेवा मोहिउद्दीन (1511/2)
16	1511/4	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0060000	असगर इराकी पिता मो. नसीम मो. अज़हर पिता मो. नसीम, मो. असरफ पिता मो. नसीम, मो. आकिब पिता मो. नसीम, रूही परवीन पिता मो. नसीम, जूही परवीन पिता मो. नसीम, तलअत परवीन पति मो. नसीम, मोहरमानिया पति मोहिउद्दीन जाती मुसलमान (1511/4)
17	1512/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0030000	अभिमन्यु सिंह, विकेश्वर सिंह पिता श्यामसुंदर, सांझों बाई बेवा श्यामसुंदर जाति गोंड (1512/1)
18	1512/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0060000	दीपन आ. सोमरसाय जाति उरांव (1512/2)
19	1512/3	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0040000	मो. जसीम आ. मोहीउद्दीन, मोहरमी बेवा मोहीउद्दीन (1512/3)
20	1513	निजी	असिंचित कृषि	0.0380000	अभिमन्यु सिंह, विकेश्वर सिंह पिता श्यामसुंदर, सांझों बाई बेवा श्यामसुंदर जाति गोंड (1513)
21	1521	निजी	असिंचित कृषि	0.0110000	अब्दुल रउफ पिता हफीज (1521)
22	1522/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	कलीम पिता गफूर (1522/1)
23	1522/2	निजी	सिंचित कृषि	0.0020000	तसउर अली पिता अब्दुल वाहिद (1522/2)
24	1525	निजी	सिंचित कृषि	0.0040000	आयशा खातून पति मो. अब्बास (1525)
25	1526/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0040000	मो. गुलखान, रमजान खान पिता अमिर हजमा (1526/1)
26	1527	सरकारी	शासकीय	0.0040000	शासकीय भूमि (1527)
27	1527/2668	निजी	असिंचित कृषि	0.0050000	मुस्तकीम पिता अहमद अली (1527/2668)
28	1528	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	जुगेश्वर प्रसाद आ. पण्डरा, रेवती प्रसाद पिता पण्डरा, मु. चरकी बेवा पण्डरा (1528)
29	1529	निजी	असिंचित कृषि	0.0030000	भारत आ. बुढानी जाति बिंझिया (1529)
30	1532	निजी	असिंचित कृषि	0.0110000	राजेश आ.फेकू, सहोदरी, तुलेन, मुलेन, श्याम बेलसिया पिता फेकू, मेसरी बाई बेवा फेकू, बनसराम, देवशरण आ. रामदास, रसमतिया सारो पिता रामदास, हदरीबाई बेवा रामदास (1532)
31	1534	निजी	असिंचित कृषि	0.0130000	सांगू राम पिता तिलक (1534)
32	1535	निजी	असिंचित कृषि	0.0120000	बलदेव पिता मोहित (1535)
33	1536	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0220000	ठेंगा राम पिता धुन्धा (1536)
34	1539	निजी	असिंचित कृषि	0.0180000	बोधनराम, ललता प्रसाद, दीपनारायण, पिता आदम साय बुच्चा, खुलमच पिता बुच्चा, झुना पिता चुलु, खादा पिता चुल्लू (1539)
35	1540	निजी	असिंचित कृषि	0.0080000	मंगली, देवन्ती, अनुराधा, रूकमणी, पुष्पा पुत्री धान्धू बूदेन बाई पति धान्धू, गंगा देवनाथ, बीरा बासमती माता भुईली, सेवक राम कलेश्वर आ. पनेसर सुरजो पुली पनेसर, मानो बाई पति पनेसर गुडेश्वर आ. हीरा सरपेत पत्नी हीरा, रामप्रसाद पिता सोमार साय (1540)
36	1541	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	रामप्रसाद पिता सोमार साय, मु. हिरलो बेवा सोमार साय जाति बिंझिया (1541)
37	1542/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0100000	लावा राम पिता कोन्दरा जाति बिंझिया (1542/1)
38	1543	निजी	असिंचित कृषि	0.0380000	विनोद, महेश ना.बा. बिनेश्वर पिता करीमन कुलोबाई बेवा करीमन (1543)
39	1675	निजी	असिंचित कृषि	0.0320000	विनोद, महेश, ना. बा. बिनेश्वर पिता करीमन मु. कुली बाई बेवा करीमन (1675)
40	1676	निजी	असिंचित कृषि	0.0150000	बोधनराम, ललता प्रसाद दीपनारायण पिता आदमसाय, खुलमच पिता बुच्चा, झुना पिता चुलु, खादा पिता चुल्लू (1676)
41	1677	निजी	असिंचित कृषि	0.0120000	मंगली, देवन्ती, अनुराधा, रूकमणी, पुष्पा पुत्री धान्धू बूदेन बाई पति धान्धू, गंगा देवनाथ, बीरा बासमती माता भुईली, सेवक राम कलेश्वर आ. पनेसर सुरजो पुली पनेसर, मानो बाई पति पनेसर गुडेश्वर आ. हीरा सरपेत पत्नी हीरा, रामप्रसाद पिता सोमार साय (1677)
42	1681/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0080000	जुगेन्द्र पिता सिराराम, मनोज कुमार पिता सिरा राम, बोदेश्वरी पिता सिरा, निर्मला पिता सिरा, बंसती पति सिरा राम जाति बिंझिया (1681/2)
43	1682	निजी	असिंचित कृषि	0.0100000	रामप्रसाद पिता सोमार साय, मु. हिरलो बेवा सोमार साय जाति बिंझिया (1682)
44	1684	निजी	असिंचित कृषि	0.0140000	बोधनराम, ललता प्रसाद, दीपनारायण पिता आदमसाय, खुलमच पिता बुच्चा, झुना पिता चुलु, खादा पिता चुल्लू (1684)
45	1685	निजी	असिंचित कृषि	0.0350000	ठेपा पिता धूंधा (1685)
46	1688	निजी	असिंचित कृषि	0.0100000	बालदेव पिता मोहित (1688)
47	1689	निजी	असिंचित कृषि	0.0120000	जुगेश्वर प्रसाद, रेवती, पिता पण्डरा, मु. चरकी बेवा पण्डरा (1689)
48	1690/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0040000	भारत राम पिता भुनेश्वर उर्फ बुढानी (1690/1)
49	1690/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0040000	बैजनाथ पिता लखु संतोषी बाई पुत्री लखु, कनियारो बाई पति लखु (1690/2)
50	1690/3	निजी	असिंचित कृषि	0.0040000	गति राम पिता भुनेश्वर उर्फ बुढानी (1690/3)
51	1691	निजी	असिंचित कृषि	0.0020000	सुनील कुमार, अनील कुमार, साधना, पुनम पिता फटाकू, दशमेत पति फटाकू, रामप्रसाद पिता धनकू जाति बिंझिया (1691)
52	1692	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	सुनील कुमार, अनील कुमार, साधना, पुनम पिता फटाकू, दशमेत पति फटाकू, रामप्रसाद पिता धनकू जाति बिंझिया (1692)
53	1693	निजी	असिंचित कृषि	0.0090000	रियाजउद्दीन पिता महबुल्ला (1693)
54	1696	निजी	असिंचित कृषि	0.0040000	चेतन पिता मूंशी (1696)
55	1697	निजी	असिंचित कृषि	0.0100000	गंगा राम आ. नाथराम जाति गोंड़ (1697)
56	1698	निजी	असिंचित कृषि	0.0120000	दुहनी बेवा बैजू राम, जनक, शंकर आ. बैजू राम, सुकुन पिता रजन जाति उरांव (1698)
57	1700/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0340000	लालसाय, बालसाय, बालम आ. मनेलाल, दसारो, बालकुमारी, हेमलता, पिता मनेलाल, मु. सुरजी बेवा मनेलाल, मनेजर आ. रोपन, संतन, संतलाल आ. मोहन, बंधानो, सुखो, मानमति, पिता मोहन, फुलेश्वरी बेवा मोहन, छन्नूलाल आ. रोपन, बुलबुल पिता महेश्वर, मनियारो बेवा महेश्वर, मुनेश्वर आ. दिपन महाजन आ. बदन शिला, मिला, दिसी पिता बदन बुधियारो पति बदन, ईश्वर, धरमसाय पिता कवल साय, सोनप्यारी, सोनमति, कर्मिला, फुलसुन्दरी पिता कवलसाय, मानकुंवर बेवा कवलसाय, फालगुनी पति नवल साय जाति उरांव (1700/1)
58	1700/2	सरकारी	सड़क रास्ता	0.0020000	शासकीय भूमि (1700/2)
59	1701/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0030000	लालसाय, बालसाय, बालम आ. मन्नेलाल, दशरू, मनेजर आ. रोपन, संतन, संतलाल आ. मोहन, बंधानो, छन्नूलाल आ. रोपन, लोलिया, गुड्डी पुत्री मन्नेलाल, मु. सुरजी बेवा मन्नेलाल, सुखो, नानमती पुत्री मोहन, फुलेश्वरी, बेवा मोहन जाति उरांव (1701/1)
60	1701/10	निजी	असिंचित कृषि	0.0050000	ईश्वर, धरमसाय आ. कवल साय, सोम प्यारी, सोनामती, करमीला, फुलसुन्दरी पिता कवलसाय, मानकुंवर बेवा कवलसाय जाति उरांव (1701/10)
61	1701/11	निजी	असिंचित कृषि	0.0060000	फालगुनी पुत्री नवल साय जाति उरांव (1701/11)
62	1701/13	निजी	असिंचित कृषि	0.0050000	रामस्वरूप, करमसाय, बीगन, मंजूर पिता समयलाल, जम्बो बेवा समयलाल जाति उरांव (1701/13)
63	1701/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0050000	बच्चू पिता गहनू, मुन्ना पिता गहनू, श्रीराम पिता जोखू, शिवरतन पिता जोखू, दखू पिता सानिया, बहादूर पिता सानिया जाति उरांव (1701/2)
64	1701/3	निजी	असिंचित कृषि	0.0040000	महेश्वर, मुनेश्वर पिता दीपन, महाजन पिता बदन शिला, मिला, दीसि पिता बदन बुधियारों बेवा बदन (1701/3)
65	1701/4	निजी	असिंचित कृषि	0.0050000	जुगेश्वर आ. दुलार, रजन्ती, शांति आ. दुलार, चन्दो बेवा दुलार जाति उरांव (1701/4)
66	1701/5	निजी	असिंचित कृषि	0.0040000	मंगल प्रसाद आ. छोटे उरांव जाति उरांव (1701/5)
67	1701/6	निजी	असिंचित कृषि	0.0120000	बच्चू आ. गहनू, मुन्ना आ. गहनू, श्रीराम आ. जोखू, शिवरतन आ. जोखू, दखू आ. सानिया, बहादूर आ. सानिया जाति उरांव (1701/6)
68	1701/7	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	लालसाय, बालसाय, बालम आ. मन्नेलाल, दशरू, लोलिया, गुड्डी पिता मन्नेलाल, मु. सुरजी बेवा मन्नेलाल, मनेजर आ. रोपन, संतन, संतलाल आ. मोहन, बंधानो, सुखी, नानमति पिता मोहन, फुलेश्वरी, बेवा मोहन, छननूराम आ. रोपन (1701/7)
69	1701/9	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	बच्चन राम पिता रामलाल, मुनिया पिता रामलाल, चांदे पिता रामलाल, मनाजो पति रामलाल, अजय पिता शिवनन्दन, सिल्मन, सुष्मिता, पुनक, प्रियंका पिता शिवनन्दन, सोनमतिया पति शिवनन्दन जाति उरांव (1701/9)
70	1702	निजी	असिंचित कृषि	0.0700000	धनमेट पुत्री परसोतम (1702)
71	1703	निजी	असिंचित कृषि	0.0120000	जुगमनी उर्फ कुन्ती पिता पलिहा, सुखलाल, चन्दूलाल, भगवानदास आ. गम्हीरा, मु. मुखली पति गम्हीरा (1703)
72	1706	निजी	असिंचित कृषि	0.0100000	लालसाय पिता कुन्जल, रामदास पिता कुन्जल, मनियारो बेवा जल्दा, मल्दा पिता बन्धू जाति बिंझिया (1706)
73	27	निजी	असिंचित कृषि	0.0400000	काशी पिता दिलबोध जाति पनिका (27)
74	29	सरकारी	शासकीय	0.0090000	शासकीय भूमि (29)
75	30	सरकारी	ग्राम पंचायत	0.0070000	ग्राम पंचायत शासकीय भूमि (30)
76	31	सरकारी	सड़क रास्ता	0.0030000	सड़क रास्ता (31)
77	34	सरकारी	शासकीय	0.0100000	शासकीय भूमि (34)
78	35	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0060000	रागिनी सिंह पति अखिलेश कुमार सिंह (35)
79	36/2	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0190000	कमल कुमार पिता परषोत्तम, रजनी देवी पिता परषोत्तम, ममता देवी पिता परषोत्म (36/2)
80	37	निजी	व्यपवर्तित	0.0110000	सावित्री पति महावीर अग्रवाल (37)
81	39	निजी	असिंचित कृषि	0.0130000	कालीचरण पिता मुंशीराम अग्रवाल जाति अग्रवाल (39)
82	40/1	निजी	सिंचीत कृषि	0.0070000	सुभाष सिंह पिता रामाधार सिंह जाति क्षत्रिय (40/1)
83	40/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	अभिषेक सिंह पिता अशोक सिंह, गीता सिंह पति अशोक सिंह जाति क्षत्रिय (40/2)
84	40/3	निजी	असिंचित कृषि	0.0060000	नजमा बेगम पति मैसर अली., नसीम कुरैशी पिता सलमा कुरैशी जाति मुसलमान (40/3)
85	42	निजी	असिंचित कृषि	0.0080000	सदा राम पिता रामचरण, रमेश कुमार पिता रामचरण, नाबालिक हेमन्त कुमार पिता रामचरण नाबालिक. अनुज कुमार पिता रामचरण, अर्चना देवी पिता रामचरण, ननकी देवी पति रामचरण जाति केंवट (42)
86	43	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	सर्वजीत सिंह पिता धन सिंह (43)
87	46/10	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0140000	अभिषेक सिंह पिता अशोक सिंह, गीता सिंह पति अशोक सिंह जाति क्षत्रिय (46/10)
88	46/11	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0270000	सुभाष सिंह आ. रामाधार जाति क्षत्रिय (46/11)
89	46/4	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0190000	अभिषेक सिंह आ. अशोक सिंह, गीता सिंह पति स्व. अशोक सिंह जाति क्षत्रीय (46/4)
90	46/6	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0040000	मनोज कुमार गुप्ता पिता रामचरण गुप्ता जाति हलवाई (46/6)
91	46/7	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0060000	विनोद कुमार गुप्ता पिता रामचरण गुप्ता (46/7)
92	46/8	निजी	व्यपवर्तित भूमि	0.0060000	विनोद कुमार गुप्ता पिता रामचरण गुप्ता (46/8)
93	47	सरकारी	शासकीय	0.0270000	शासकीय भूमि (47)
94	56/1	निजी	असिंचित कृषि	0.0360000	बालदेव, रामराज, मुन्ना आ. सुन्ना, नरकू आ. सुन्ना, अम्बिका प्रसाद, धरमसाय, आ. अमर साय, मनमेत, चमेली, किस्मतिया आ. अमर साय (56/1)
95	56/2	निजी	असिंचित कृषि	0.0080000	श्रीमती मानो बाई पिता पाण्डु (56/2)
96	57	निजी	असिंचित कृषि	0.0140000	मचकू, भवन, हदुल्ला आ. कोन्दा (57)
97	58	निजी	असिंचित कृषि	0.0070000	भुनेश्वर सिंह, कमल कुमार, धरमदेव सिंह आ. रामप्रसाद, मान कुमारी, मेदनी सिंह, मदन सिंह, नन्दनी सिंह, आ. रामप्रसाद (58)
कुल :–				1.088	

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन,
सूरजपुर (छ.ग.)

Created by Universal Document Converter

41 हजार से ज्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत

बालोद जिले में सर्वाधिक 7 हजार 691 आवेदन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत केवल 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर एक लाख 17 सौ 74 आवेदन मिले हैं और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 63 हजार 908 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।

उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ के पहले ही दिन 1 अप्रैल को शाम 5 बजे की स्थिति में इस पोर्टल में 4269 पंजीयन प्राप्त हुए थे। युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके कैरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी मददगार होगी। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, उन्होंने 1 अप्रैल को ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और उसी दिन उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया।

पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

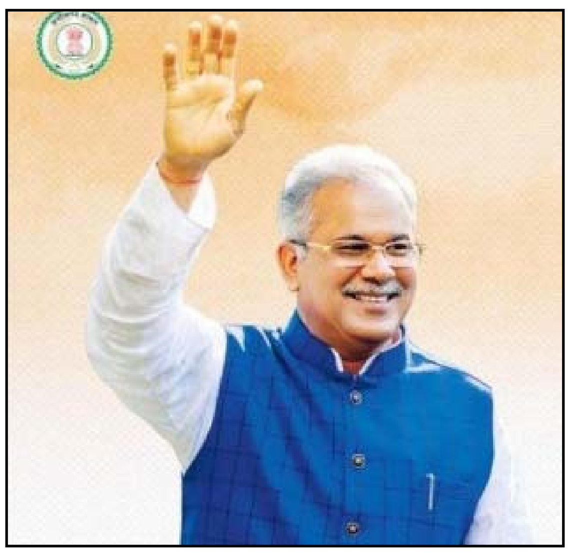

इनमें बालोद जिले में सर्वाधिक 7 हजार 691, दुर्ग जिले में 7 हजार 495, रायपुर जिले में 6 हजार 43, बिलासपुर जिले में 5 हजार 977, जांजगीर-चांपा जिले में 5 हजार 556, धमतरी जिले में 5 हजार 511, कबीरधाम जिले में 4 हजार 775, कांकेर जिले में 3 हजार 420, सरगुजा जिले में 2 हजार 519, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में एक हजार 13, रायगढ़ जिले में 2 हजार 55, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 940, कोरिया जिले में 898, दंतेवाड़ा जिले में 641, नारायणपुर जिले में 403, कोण्डागांव जिले में 2 हजार 51, बीजापुर जिले में 441, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में एक हजार 403, बस्तर जिले में 2 हजार 71, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 929, मुंगेली जिले में 4 हजार 589, जशपुर जिले में 2 हजार 229, गरियाबंद जिले में 3 हजार 96, बलौदाबाजार जिले में 4 हजार 119, महासमुंद जिले में 4 हजार 482, राजनांदगांव जिले में 4 हजार 303, बेमेतरा जिले में 3 हजार 950, सक्ती जिले में 3 हजार 291, बलरामपुर जिले में एक हजार 596, सुकमा जिले में 582, सूरजपुर जिले में 2 हजार 387, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 2 हजार 871, कोरबा जिले में 2 हजार 446 आवेदन अब तक पंजीकृत हुए हैं।

हर दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल

बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल 01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल द्वारा आवेदन करना बहुत ही आसान है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ की दो पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल जिन्हें मिले एक से अधिक पुरस्कार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की दो पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुन्ड्रा के ग्राम पंचायत नागम तथा धमतरी जिले के नगरी पंचायत के ग्राम सांकरा को पुरस्कृत किया गया। ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा सांकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया। इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के साथ ही 50-50 लाख रूपए की राशि भी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिये गये। छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिन्हें एक से अधिक पुरस्कार आज प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत नागम के सरपंच भंडारी राम पैकरा तथा ग्राम पंचायत सांकरा की सरपंच शशि ध्रुव ने केंद्रीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास गिरिराज सिंह के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज कपिल मोरेश्वर पाटिल भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत नागम में गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामवासियों को मनरेगा के अंतर्गत अधिकाधिक जाब कार्ड प्रदान करने, शतप्रतिशत पारिश्रमिक प्रदाय करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत शतप्रतिशत हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने, स्वसहायता समूहों की महिलाओं के आय में वृद्धि के लिए तथा ग्रामवासियों को आईटीआई जैसी संस्था के माध्यम से कौशल विकास कराने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया।

ऑपरेशन के बाद अब सीमा अपने हाथ को सीधा कर पाएगी

चिरायु से डीकेएस अस्पताल में हुई निःशुल्क सर्जरी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर । जन्म से ही कॉन्ट्रैक्चर ऑफ राइट एल्बो की समस्या से जूझ रही सीमा अब सामान्य बच्चों की तरह अपना हाथ पूरी तरह सीधा कर पाएगी। रायपुर में डीकेएस सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके हाथ में एल्बो सॉफ्ट टिसू रिलीज सर्जरी की है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना से हुई इस निःशुल्क सर्जरी ने सीमा का जीवन खुशियों और उमंग से भर दिया है। सारंगढ़ के चिरायु दल की पहल और डीकेएस अस्पताल के डॉक्टरों की मेहनत से उसे मुड़ी हुई कोहनी की समस्या से मुक्ति मिल गई है। नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिरायु टीम जब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्राथमिक शाला झिलगिटार पहुंची, तब टीम वहां पढ़ने वाली दस साल की सीमा की समस्या से रू-ब-रू हुई। उसकी दाएं हाथ की कोहनी जन्म से ही 90 डिग्री के एंगल से मुड़ी हुई थी जिसे वह सीधा नहीं कर पाती थी। मेडिकल भाषा में इसे कॉन्ट्रैक्चर ऑफ राइट एल्बो या डिस्टल ऑर्थोग्रैपोसिस ऑफ राइट एल्बो कहा जाता है। चिरायु दल ने सीमा के परिजनों का मनोबल बढ़ाकर मार्गदर्शन किया और इलाज के लिए रायपुर के डीकेएस सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल रिफर किया। डीकेएस अस्पताल में भर्ती होने के बाद इस साल 16 फरवरी को पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन डॉ. रमन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सीमा की पहली बार सर्जरी/कास्टिंग की गई। कुछ दिनों बाद कास्टिंग ओपन कर सॉफ्टनेस देखा गया। ऑपरेशन के पहले छह बार बुलाकर कास्टिंग की गई। इसके दो माह बाद विगत 11 अप्रैल और 15 अप्रैल को डीकेएस अस्पताल के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक विभाग में एल्बो सॉफ्ट टिसू रिलीज सर्जरी पूरी की गई। आमतौर पर निजी अस्पतालों में इस तरह के ऑपरेशन पर बड़ी राशि खर्च हो जाती है। सीमा के हाथ का ऑपरेशन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क हुआ है। इस ऑपरेशन के बाद अब वह सामान्य बच्चों की तरह अपने हाथ को पूरी तरह से सीधा कर पाएगी।

सीमा के परिजनों ने चिरायु योजना से ऑपरेशन के लिए राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग और चिरायु टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है।

गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ ने महासमुंद में डाला डेरा...

रायपुर। उमेश पाल हत्याकांड में प्रमुख भूमिका निभाने वाले गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज की लोकेशन छत्तीसगढ़-ओडिशा के सीमावर्ती जिले महासमुंद में मिली है। इससे पहले उसे ओडिशा के बरगढ़ ट्रेस किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर गुड्डू मुस्लिम पर पांच लाख का इनाम रखा गया है। स्पेशल टास्क फोर्स इसकी तलाश में जुटी हुई है। यूपी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ महासमुंद के एक पुराने बदमाश के साथ गुड्डू मुस्लिम के काफी अच्छे संबंध है। इसी के आधार पर एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची।

महिला से मारपीट के चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

मोहनलालगंज ।मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के खुजौली मजरा उदवतखेड़ा निवासी महिला अनीता देवी ने शिकायत करते हुये बताया 13 अप्रैल को रंजिश को लेकर पड़ोसी दिनेश ने अपने बेटे अंकित व सर्वेश,निहाल के साथ मिलकर घर पर हमला कर बुरी तरह पिटाई कर दी थी चीख-पुकार सुनकर परिजनो के मौके पर आने पर आरोपी भाग निकले थे,जिसके बाद घटना की जानकारी खुजौली चौकी इंचार्ज को दी तो कार्यवाही के बजाय पुलिस डाट डपट कर चली गयी थी,जिसके बाद मनबढ आरोपी फिर से धमकाने लगे ओर 17 अप्रैल को पुन घर पर धावा बोलकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी ।दोबारा हमले की शिकायत चौकी पर लिखित शिकायत देकर पुलिस से की लेकिन कोई कार्यवाही नही की।

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने निकाय चुनाव में झोंकी ताकत

झमाझम बारिश में भी पार्षद प्रत्याशियों के लिए किया जनसंपर्क

डॉ. राजेश्वर सिंह ने पार्षद प्रत्याशियों के लिए किया जनसंपर्क, रोड शो कर जुटाया समर्थन, उमड़ा जनसैलाब

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनऊ। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने मेयर और पार्षद प्रत्याशियों ने जनसमर्थन के लिए ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। आगामी चुनाव को लेकर सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह भी निरंतर महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं।

रविवार को भी डॉ. राजेश्वर सिंह ने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया व रोड शो किए। झमाझम हुई बारिश के बावजूद भी पदाधिकारियों-कार्यकताओं का जोश कम नहीं हुआ। सरोजनीनगर विधायक ने वार्ड संख्या 6 राजा बिजली पासी प्रथम की भाजपा प्रत्याशी ज्योति पाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और पूजन कर भव्य रोड शो किया। गाजे-बाजे और पूरे जोश-उत्साह के साथ रोड शो निकाला गया। इसके पश्चात डॉ. सिंह ने वार्ड संख्या 1 अटल बिहारी वाजपेयी से भाजपा प्रत्याशी शशिबाला रावत और वार्ड संख्या 12 सरसवां खरगापुर से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार गौतम के लिए भी जनसपंर्क किया। इसके साथ ही उन्होंने मेयर प्रत्याशी सुषमा खर्कवाल के लिए भी समर्थन मांगा। भाजपा की नीतियों बताते हुए सरोजनीनगर विधायक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के सशक्त मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी का समुचित विकास हो रहा है। आज यूपी माफिया और अपराध मुक्त हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कायम है, यूपी आज देश का ग्रोथ इंजन है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जनता को संबोधित करते हुए डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि प्रदेश में 33.50 लाख करोड़ का ऐतिहासिक निवेश आया है। अब तक का सबसे बड़ा 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके अलावा राजधानी लखनऊ देश की सबसे अच्छी राजधानी है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में लखनऊ पहले स्थान पर है, हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है, 2 लाख एलईडी लाइट्स से जगमगा रहा है। आज लखनऊ का भी चहुंमुखी विकास हो रहा है।

भारतीय मानव विकास स्वास्थ्य सेवा संस्थान बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार प्रयासरत - दिनेश कुमार सिंह

संस्थान द्वारा भेजे जाने वाले रोगियों को न्यूनतम दरों पर उपचार उपलब्ध कराएगा नीरू मेडिकल सेंटर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनऊ। भारतीय मानव विकास स्वास्थ्य सेवा संस्थान द्वारा रविवार को समिट टावर, गोमतीनगर में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि दिनेश कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि संस्थान का यही प्रयास है कि लोगों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और भी सुदृढ़ हों। उन्होंने कहा कि संस्थान महिलाओं के स्वालंबन और उनके सशक्तिकरण के लिए भी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि से संस्थान अपने वालेंटियर्स के माध्यम से पूरे प्रदेश यह सराहनीय प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम मे संस्थान के अध्यक्ष डॉ कमलेश यादव, राम आश्रय एवं अनिल पाण्डेय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारतीय मानव विकास स्वास्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश मे वालाटियर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं महिला स्वबलंबन हेतु लगातार कार्य कर रहा है। उक्त कार्यक्रम मे नीरू मेडिकल सेंटर, प्रियदर्शिनी कॉलोनी, लखनऊ जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सभी प्रकार के मॉडर्न उपचार की सुविधा से युक्त है की और से घोषणा की गयी की संस्थान द्वारा भेजे जाने वाले रोगियों का उपचार न्यूनतम दरों पर किया जायेगा।

नशे में धुत दबंगो ने तीन को पीटा, मुकदमा दर्ज

मोहनलालगंज ।मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गौरा मजरा भैदुवा निवासी अशोक ने पुलिस से शिकायत करते हुये बताया 18अप्रैल की रात 7:30बजे के करीब भाई नन्देलाल ने सुधीर,सोनू,श्यामू के साथ शराब के नशे में धुत होकर दरवाजे पर आकर गंदी-गंदी गालिया देने लगे,मना करने पर लाठी-डंडो से उसकी व छोटे भाई मिलन समेत मां की पिटाई कर बुरी तरह घायल कर जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से भाग निकलें ।इंस्पेक्टर कुलदीप दूबे ने बताया पीड़ित द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर चार आरोपियों पर मारपीट,जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया हैं।

नगर पंचायत अध्यक्षो व सभासदो को भारी मतो से जिताएं: कौशल किशोर

मोहनलालगंज विधानसभा की चारो नगर पंचायतों में भाजपा की जीत के लिये केन्द्रीय राज्यमंत्री व क्षेत्रीय विधायक ने कार्यकर्ताओ संग बैठक,दिया जीत का मंत्र

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मोहनलालगंज। नगर निकाय चुनाव में मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र की चारो नगर पंचायतो में भाजपा की जीत के लिये रविवार को केन्द्रीय राज्यमंत्री व सासंद कौशल किशोर ने क्षेत्रीय विधायक अमरेश कुमार रावत की मौजूदगी में मोहनलालगंज, गोसाईगंज, अमेठी, नगराम नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों रामलाल वर्मा, निखिल मिश्रा,एकता निगम, रामप्यारी के चुनाव कार्यालयो में सभासद प्रत्याशियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओ के साथ बैठक की। केन्द्रीय राज्यमंत्री व सासंद कौशल किशोर ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओ को सम्बोधित करते हुये कहा कि मोदी-योगी के नेतृत्व को मजबूत करना पार्टी से जुड़े प्रत्येक कार्यकताओं की जिम्मेदारी है ।सभी लोग संगठित होकर नगर पंचायत अध्यक्षो एवं सभासदो को भारी मतो से जितायें ।इस बार प्रत्येक जगह कमल का फूल खिलेगा ।भाजपा गरीब असहाय तथा सर्व समाज के लोगो की पार्टी है,इसमें सभी का विकास एवं स्वाभिमान कायम रहता है ।केन्द्रीय राज्यमंत्री ने जीत का मंत्र देते हुये कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य उम्मीदवारो समेत कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर वार्ड के हर घर में सपर्क करें ओर लोगो का दिल जीतें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी की भी जानकारी दें ।विधायक अमरेश कुमार रावत ने कहा जिन नीतियों ओर रीतियों पर चलकर भाजपा ने इतिहास रचा है,उसी इतिहास को हम पुनःनिकाय चुनाव में दोहराने वाले है ।कार्यकर्ताओ को पुनःअपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन करना होगा ।नेता ओर पदाधिकारी तो पूर्व हो जाते है ।किंतु कार्यकर्ता नीवं की ईट की तरह मजबूती से टिका रहता हैं ।बैठको में मौजूद पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओ ने एक स्वर में भाजपा प्रत्याशियों के जीत के लिये हुंकार भरी ।किन्द्रीय राज्यमंत्री ने चारो नगर पंचायतो में पार्टी के अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशियों को पार्टी का पटका व फूल माला पहनाकर पहनाकर सम्मानित किया। मोहनलालगंज में आयोजित बैठक में प्रत्याशी रामलाल, जिला महांमत्री राजकुमार वर्मा, जिला मीडिया रिलेशन प्रकोष्ठ संयोजक अशोक तिवारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र पांडे,मंडल अध्यक्ष सुंधाशु सिहं, दीपू बाजपेयी,महामंत्री अजंनी शुक्ला,आशुतोष शुक्ला,हिमांशु तिवारी,मनीष तिवारी मौजूद रहे ।गोसाईगंज में आयोजित बैठक में प्रत्याशी निखिल मिश्रा,मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता,मंडल महामंत्री दिनेश साहू,प्रधान अभय दीक्षित,मंडल मंत्री बृजेश गुप्ता मौजूद रहें ।अमेठी में आयोजित बैठक में भाजपा प्रत्याशी एकता निगम,ब्लाक प्रमुख डिपंल वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष गोकरन वर्मा, मंडल अध्यक्ष बजरंग वर्मा,सन्तोष शर्मा,डीडी त्रिपाठी मौजूद रहें।

सब्जी विक्रेता के तीनों हत्या आरोपी गिरफ्तार

तरोई को कम दाम पर बेंचने को लेकर हुआ था विवाद, सिर पर ईंट मार कर दी थी हत्या

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनऊ, लखनऊ के कृष्णानगर में ज्वालादेवी मंदिर के पास सब्जी विक्रेता हिमांशु की सिर पर ईंट मार कर हत्या करने वाले तीनों आरोपों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चारबाग स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर ली। इंस्पेक्टर कृष्णानगर विक्रम सिंह ने बताया कि हिमांशु की हत्या मामले में काकोरी के जलियामऊ निवासी आलोक राजपूत उर्फ धर्मपाल, बलरामपुर देहात के वन दुसरा मोहल्ले के महेश कुमार कश्यप उर्फ लाला और फिरोजाबाद गली नंबर दो करबला निवासी गोविंद कुमार को पकड़ा गया। आलोक और उसके साथी भी हिमांशु के पड़ोस में ही सब्जी की दुकान लगाते थे। आलोक और उसके साथी साझे में सब्जी बेचते थे। जबकि हिमांशु और उसका भाई नीलेश अलग ठेला लगाता था। नीलेश शुक्रवार रात दुकान पर था वह 55 रुपये में तरोई बेच रहा था। जबकि आलोक व अन्य 60 रुपये में।

नजूल भूमि पर स्वामिहक हेतु कब्जाधारी कर सकते है आवेदन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राज्य शासन ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि में कब्जाधारियों के व्यवस्थापन के लिए भूमि स्वामीहक देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य शासन द्वारा जिला अंतर्गत के नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि को नजुल घोषित किया गया है। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने नगरीय क्षेत्र में कब्जाधारियों के भूमि व्यवस्थापन, भूमि आबंटन रियायती स्थायी पट्टों के भूमि स्वामी हक, गैर रियायती स्थायी पट्टों के भूमिस्वामी हक, पट्टा धृति, परिवर्तित भूमि के वार्षिक भू-भाटक वसूली एवं छूट के विषय में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होंने नगरीय निकायों में निवासरत् नगरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी पात्रता अनुसार शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ है। नजूल भूमि पर कब्जाधरी स्वामीहक के लिए जल्द-जल्द आवेदन करें। उक्त भूमि के कब्जाधारियों द्वारा शासकीय नजूल भूमि के लिए व्यवस्थापन के समय किसी व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामी हक प्राप्त करने के लिए भूमि आबंटन के समय बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी तथा भूमिस्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि अर्थात् प्रचलित गाईडलाईन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि शासन को भूगतान करना होगा। उक्त नगरीय निकाय में राजस्व भूमि को नजुल घोषित किये जाने पश्चात् नगरीय क्षेत्र की नजूल भूमि के साथ ही साथ अन्य भूमियों के बाजार दर में वृद्धि होगी साथ ही कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्राप्त होने से उक्त भूमि स्वामी को विक्रय बैंक ऋण लाभ इत्यादि प्राप्त हो सकेगा। इन योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नजूल शाखा में सम्पर्क कर सकते है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों व विटामिन बी 12 से परीपूर्ण है फोर्टिफाइड चावल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के मद्देनजर

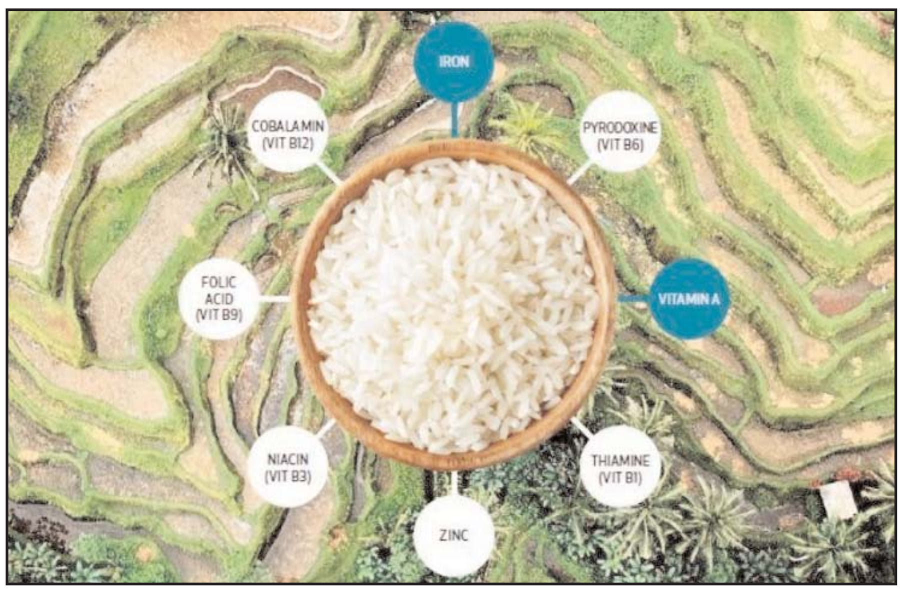

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्राथमिकता वाले परिवारों को फोर्टिफाइड चावल वितरण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल माह से फोर्टिफाइड चावल का वितरण चालू हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा इसकी शुरूआत की जा चुकी है। फोर्टिफाइड चावल प्राथमिकता, अन्त्योदय, एकल निराश्रित, नि:शक्जन, श्रेणी के राशन कार्डधारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर मिलेगा।फोर्टिफाइड चावल पोषक एवं स्वास्थ्यवर्धक है। यह आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 से युक्त होता है। इसमें मौजूद आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 जैसे पोषक तत्व बड़ो एवं बच्चों में खून की कमी नहीं होने देता है तथा खून निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के सही ढंग से कार्य में सहायक होता है। प्रदेश के कई स्थानों पर फोर्टिफाइड चावल को लेकर प्लास्टिक चावल होने का भ्रम भी सामने आई है। दरअसल फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल से अधिक चिकना और अलग दिखता है, लेकिन वह प्लास्टिक नहीं है। लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाला चावल है। खाद्य विभाग द्वारा लोगों में भ्रम की स्थिति को दूर करने राशनकार्डधारियों को आंगनबाडी कार्यकर्ता, मितानीन, एवं उचित मूल्य दुकानों में बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल को पकाने के तरीके एवं उपयोग के संबंध में समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।

क्या है एनीमिया

एनीमिया स्वास्थ्य संबंधी वह अवस्था है जिसमें आरबीसी की संख्या में कमी होने के कारण शरीर की सामान्य वृद्धि और कार्य पर प्रभाव पड़ता है। आयरन की कमी के कारण से होने वाली एनीमिया में आयर के साथ-साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, विटामिन ए, जिंक का होना भी एनीमिया का कारण हो सकता है। एनीमिया के कारण मुख्य रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास में कमी आती है, रोग प्रतिरोधक व कार्यक्षमता में भी कमी आती है। फूड या खाद्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन का क्या मतलब होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फूड फोर्टीफिकेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाने में विटामिन और मिनरल के स्तर को बढ़ाना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आहार में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिले। आम तौर पर चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग के समय फैट और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चोकर की परतें हट जाती है। चावल की पॉलिश करने से 75-90 प्रतिशत विटामिन भी निकल जाते है जिसके वजह से चावल के अपने पोषक तत्व खत्म हो जाते है। इसलिए चावल को फोर्टिफाई करने से उनमें सूक्ष्म पोषक तत्व न सिर्फ फिर से जुड़ जाते है बल्कि और ज्यादा मात्रा में मिलाये जाते है जिससे चावल और अधिक पौष्टिकयुक्त हो जाता है।

ऐसे पकाएं फोर्टिफाइड चावल

अधिकतम पौष्टिक लाभ के लिए फोर्टिफाइड चावल को पर्याप्त पानी में पकाना चाहिए और बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए। अगर चावल को बनाने से पहले पानी में भिगोया गया हो तो चावल को उसी पानी में पकाना चाहिए। फोर्टिफाइड चावल अत्यधिक पानी में धोने और पकाने के बाद भी अपने पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। फोर्टिफाइड चावल को हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ और सूखे हवा-बंद डब्बे में रखना चाहिए।

भेंट मुलाकात की थीम पर जिपं सदस्य ने जन चौपाल में सुनी लोगो की समस्या

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला पंचायत सदस्य बिहारी लाल कुलदीप ने भेंट मुलाकात थीम को लेकर व लोगों की समस्याओं को सुनना के लिए अपना जिला पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत नयनपुर में रविवार को जहां ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया 32 ग्राम पंचायतों में जाकर जन चौंपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समक्ष अपनी मांगें रखीं जिसे श्री बिहारी लाल ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है।बता दें कि ने अपने जिला पंचायत क्षेत्र के समस्त क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुलझाने कार्यक्रम तैयार कर दौरे में निकले हैं । नयनपुर के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वॉल की निर्माण की मांग , रामायण मण्डली हेतु एक सेट दिलाये जाने के मांग

निराकरण का दिया भरोसा

की है , एक महिला ने 13 वर्ष से मायके में रह रही है पंचायत का निवास बनवाने की मांग, ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने की मांग , मंच शेड निर्माण पुलिया निर्माण, पीएचई विभाग के ऊपर पंचायत प्रतिनिधि ने लगाया आरोप बोला कि पीएचई विभाग के द्वारा पीएचई विभाग द्वारा है जो खोदे गए और उसका सुधार किया जा रहा है जो विधायक या सांसद मद से खोदा गया है उनका सुधार कार्य नहीं कराया जाता है जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्य ने इस बात को अधिकारी से बात करने को लेकर आश्वासन दिया है। तटबंध निर्माण की मांग की गई। बाइक चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की भी शिकायत आई । सभापति ने सभी मांगों को लेकर उच्च अधिकारी से बात कर निराकरण का भरोसा दिलाया है और जो भी संभव होगा हमेशा ग्रामीणों के साथ खड़ा हूँ।

जिले की पुलिस के 9 स्थाई वारंट किया गया तामील

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। अपराधों की रोकथाम के लिए फरार स्थाई वारंटियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश एसपी रामकृष्ण साहू ने जिले के पुलिस अधिकारियों को दिये थे। जिसके बाद पुलिस के द्वारा बीते दिन जिले सहित दिगर जिलों से 09 स्थाई वारंटियों को धर दबोचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में स्थाई वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान में थाना सूरजपुर के द्वारा 3 स्थाई वारंट, थाना ओड़गी 2, थाना जयनगर 2, थाना भटगांव 1 व थाना प्रतापपुर के द्वारा 1 कुल 9 स्थाई वारंट तामील किया है। लूट, मारपीट, एक्सीडेंट सहित विभिन्न मामलों में वर्षो से फरार इन स्थाई वारंटियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी वारंटियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहा इजाफा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में मौसम को देखते हुए मरीजों की बढने की संभावना है। जिले में कोरोना के मरीज ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में मिलने लगे है, हर रोज मरीजों की संख्या में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है, इस बीच शुक्रवार को जिले में कोरोना के 17 मरीज मिले हैं वहीं आज मरीजों की संख्या 14 हो गयी है। 21 अप्रैल को सक्रिय मरीजों की संख्या 153 थी। आज सक्रिय मरीजों कम हो 145 हो गयी है। विगत सप्ताह भर से मरीजों की संख्या दहाई अंक में है, अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में हैं, और वे सभी सामान्य है। जिले में कोरोना संक्रमण की दर 09 प्रतिशत से भी अधिक है। लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिसको लेकर एहतियात बरतने को कहा गया है। कई जगहों पर मॉस्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा गया है, साथ ही भीड़-भाड़ वाले जगहो में मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। कोविड के लक्षण जैसे सर्दी खांसी इत्यादि होने पर तत्काल जांच कराये एवं कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाये तथा कोविड नियमों का अनिवार्यत: पालन करे, जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में जांच किया जा रहा है।

तीन नग टूल्लू पम्प के साथ आरोपी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। टुल्लू पम्प चोरी के मामले में रामानुजनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 22 अप्रैल

रामानुजनगर पुलिस की कार्रवाई

को ग्राम मदनेश्वरपुर के राहुल सिंह ने थाना रामानुजनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 21 अप्रैल को नाला में टेक्समो कंपनी का टूल्लू पम्प खेत में पानी दहाई के लिए लगाया था दूसरे दिन सुबह वहां गया तो टूल्लू पम्प वहां पर नहीं था, वहीं के लोगों को इसकी जानकारी दिया तो उन्होंने बताया कि उमेश व दीपन सिंह के कुआं व तालाब में लगे पम्प को भी कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना रामानुजनगर पुलिस चोर की पतासाजी में लगी थी इसी बीच मुखबीर की सूचना पर संदेही ओम प्रकाश सिंह निवासी

ग्राम सरसताल, थाना रामानुजनगर को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने बताया कि उक्त तीनों टूल्लू पम्प को चोरी करना स्वीकार किया और उसे बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश करना बताया। आरोपी के निशानेदही पर 3 नग टूल्लू पम्प कीमत करीब 10 हजार रूपये का बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर विपिन लकड़ा, एएसआई मनोज पोर्ते, आरक्षक दीपक यादव, इन्द्रकुमार साहू, गणेश सिंह व सुभाष पैंकरा सक्रिय रहे।

अंगना म शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु हुई बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल एवं जिला मिशन समन्वयक शशिकान्त सिंह के द्वारा अंगना म शिक्षा 3.0 सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय बैठक यहां परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में आयोजित किया गया। जिसमें सर्व सहायक परियोजना समन्वयक, सर्व विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम जिला नोडल लक्ष्मी सिंह एवं जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई के हेमसाय राजवाड़े, प्रदीप पटेल, सरिता कोशले एवं सीएसी अनुराग सिंह बघेल की उपस्थिति में अंगना में शिक्षा 3.0 का आयोजन पढ़ई तिहार के रूप में 25 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक शालाओं में आयोजन किया जाएगा। जिसके सफल आयोजन हेतु बैठक कर निर्देशित किया गया एवं उसके मॉनिटरिंग हेतु जिला, विकासखण्ड, संकुल एवं सभी प्राथमिक शालाओं में नोडल कर्मचारियों का दल गठित किया गया।

सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में अर्थव को मिली सफलता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सैनिक स्कूल कक्षा 6 वीं की प्रवेश परीक्षा में नगर के अथर्व तिवारी ने सफलता अर्जित किया है। सैनिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना अभिभावकों का सपना होता है। कारण यहां की बेहतर शिक्षा व्यवस्था, अनुशासन और पासआउट होने वाले बच्चों का शानदार कैरियर लोगों को आकर्षित करता है। देशभर के सैनिक स्कूलों में दाखिले आल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होते हैं। यह प्रवेश परीक्षा प्रत्येक वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। सैनिक स्कूल में दाखिले हेतु छात्रों की परीक्षा में परफार्मेंस और मेडिकल फिटनेस को देखकर किये जाते हैं। आल इंडिया स्तर की इस परीक्षा में अथर्व की इस कामयाबी से उनका परिवार, रिश्तेदार और शुभचिंतक खुश

नजर आ रहे हैं। अथर्व के पिता सुनील दत्त तिवारी शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही ये एनसीसी अधिकारी के पद का निर्वहन भी कर रहे हैं। इनकी माता श्रीमती विजयलक्ष्मी तिवारी गृहिणी हैं।

अथर्व सूरजपुर के प्रतिष्ठित नागरिक कृष्ण दत्त तिवारी एवं सुभद्रा तिवारी के पौत्र और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विमलेश दत्त तिवारी के भतीजे हैं। अथर्व ने अपनी कड़ी मेहनत से सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने परिवार के साथ जिले का नाम रोशन किया है। पढ़ाई के साथ-साथ अथर्व खेलकूद में भी अच्छी रुचि रखते है। अथर्व ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरूजनों और माता-पिता के साथ अचीवर्स पॉइंट एकेडमी अम्बिकापुर कोचिंग सेंटर के संचालक आशीष सिन्हा को दिया ।अचीवर्स पॉइंट एकेडमी के संचालक आशीष सिन्हा ने कहा कि अथर्व की लगन और मेहनत ने ही आज इन्हें उनको उज्वल भविष्य की ओर पहुंचाया हैं। उनके सैनिक स्कूल में चयनित होने पर एकेडमी के सभी शिक्षकों द्वारा शुभकामनाएं दीं गई । वहीं अथर्व के माता-पिता ने एकेडमी के सभी शिक्षकों का आभार जताया। उनकी इस उपलब्धि पर प्रोफेसर डॉ.अशोक शर्मा, दयानंद चौबे, अनुरागवेन्द्र सिंह बघेल, गोपाल साहू, गौतम शर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाई दी है।

विश्व पृथ्वी दिवस पर हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, रूनियाडीह एवं सुदामानगर के ग्रामीणों को पर्यावरण अधिनियम की दी गई जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोविन्द नारायण जांगडे के मार्गदर्शन में 22 अप्रैल को ग्राम पंचायत रूनियाडीह एवं ग्राम पंचायत सुदामानगर में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आनंद कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में आनंद कुमार सिंह ने ग्रामीणजन को विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा बड़े-बड़े शहर बसाकर सुकून के लिए गाँव ढूँढ़ते हैं। बडे अजीब हैं हम लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाँव ढूँढ़ते है। हम भारतीय पृथ्वी को अपनी माँ मानते है, जो वर्तमान में मानव की बढ़ती आबादी और बढ़ते शहरीकरण के चलते हर साल लाखों पेड़

काट दिये जाते हैं। वहीं हमारे द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक, मोटर वाहन तथा औद्योगिक कारखानों से निकले वाली जहरीली धुंए, किसानों द्वारा उपयोग किये जाने वाले किटनाशक दवाईयाँ हमारे पृथ्वी व पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक का कम से कम उपयोग, मोटर वाहनों, कीटनाशक दवाईयों आदि के उपयोग में कमी लाकर पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने आगे दो लाईन आसमा से उतरकर जमीन पर आ गई है, अब बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई है। इस जमी को बचाना है। हमीं से हमको ये जिम्मेदारी भी देखिए हमीं पर आ गई है। कहते हुए पंचायत भवन प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया एवं उपस्थित लोगों से हर साल कम से कम 5 पौधा लगाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, आबकारी अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में उपस्थित लोगों को विस्तार से जानकारी दी।

जिले के दूरस्थ क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बना बाइक एम्बुलेंस

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ऐसे गांव जो वनांचल क्षेत्र में बसे थे। जहां स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर लोग चारपाई या कंधे में रखकर मरीजों को दूर अस्पताल या वैद्य के पास लेकर जाया करते थे। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डॉ. आर. एस. सिंह के मार्गदर्शन में जिला के विकासखण्ड ओड़गी के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर के लोगों को मोबाईल बाईक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदाय की जा रही है। जिसमें कुल 23 मरीजों को बाईक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदाय की गयी है। जिसमें से 09 प्रसव के मरीजों को स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के लिये लाया गया है। ग्राम कोल्हुआ से हिरामती पण्डो एवं सविता यादव, ग्राम कछवारी से मानमती, ग्राम मोहली से लीलावती केसकुंवर, पानपति, ग्राम चोंगा से रिता साहू ग्राम खोहिर से सोनकुंदर

एवं हिरामती को प्रसव हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव करवाया गया। बाईक एम्बुलेंस की सुविधा से दूरस्थ क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। वनांचल और नदी नाले पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ स्वास्थ सुविधा के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को सरल बनाने के लिए बाइक एंबुलेंस का प्रयोग किया जा रहा है बाइक एंबुलेंस वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए कारगर साबित हो रहा है।

सरगुजा फ्रंटलाइन

कोयला खदान बंद होने से रोजगार व मिल रही सुविधाओं के बंद होने की चिंता में ग्रामीण

परसा ईस्ट व केते बासेन कोयला खदान के सुचारू संचालन हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला खदान के सुचारू रूप से संचालन हेतु भूमि उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ व राजस्थान, जयपुर के मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र सरगुजा कलेक्टर को सौंपा है। इन्हें खदान के बंद होने का भय सता रहा है। खदान बंद होने से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं बंद होने व नौकरी जाने का संभावित खतरा भी इन पर मंडरा रहा है।

साल्ही निवासी सुनीन्द्र सिंह उइके, बुद्धिमान सिंह उइके,चंद्रकेश्वर सिंह, हरिहरपुर के राजेश्वर दास, जनार्दनपुर ग्राम पंचायत की सरपंच मीना उर्रे के अलावा सरपंच शिवनगर मानमती, सरपंच ग्रापं तारा, सरपंच गुमगा संतकुमारी, सरपंच डांडगांव संपती, सरपंच चकेरी रूरही बाई, जनपद सदस्य सरस्वती, सर्व उपसरपंच देवनारायण सिंह, चंदवती, दुर्गावती, जय सिंह, शांति देवी सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने ज्ञापन पत्र में उल्लेखित किया है कि सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में परसा ईस्ट एवं केले बासेन कोल खदान का संचालन विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है। खदान के प्रारंभ होने से प्रभावित परिवारों के अलावा आसपास के लोगों के आय अर्जन का मार्ग प्रशस्त हुआ, अधिकतर लोग खदान में नौकरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। कहा गया है कि खदान खुलने के पहले उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन जब से कोयला खदान चालू हुआ है, तब से क्षेत्र का संपूर्ण विकास होना शुरू हुआ। खदान के खुलने से रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। नि:शुल्क व उत्कृष्ट शिक्षा के लिए कक्षा 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम से सीबीएससी बोर्ड का स्कूल संचालित हो रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा मिली है। आसपास के ग्रामों में 24 घंटे एंबुलेंस की नि:शुल्क सुविधा मिल रही है। सभी ग्रामों में प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जरूरतमंदों को नि:शुल्क जांच व दवा वितरण का लाभ मिल रहा है। पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसी रोड का निर्माण कराया गया है एवं प्रकाश के लिये सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। खेल मैदान की फेंसिंग कराई गई है। इसके अलावा कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रभावित ग्रामों के इच्छुक युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाता है। आगे उल्लेख किया गया है कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला खदान के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण खदान बंद होने के कगार पर है। हर दिन बड़ी-बड़ी मशीनें व डंपर खदान से बाहर जा रहे हैं। खदान से मजदूरों को निकालने की कार्रवाई की जा रही है। यही स्थिति कुछ माह पूर्व भी यहां निर्मित हुई थी। एनजीओ व कुछ बाहरी लोगों के दखलंदाजी के कारण खदान बंद हो गई थी और यहां पर कार्यरत अधिकतर लोगों की नौकरी चली गई थी, चल रहे सभी विकास कार्य बाधित हुए थे। मांग की गई है कि खदान के सुचारू रूप से संचालन के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए। अगर समय पर जमीन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो हजारों लोगों की रोजी-रोटी छिन जाएगी, विकास कार्य ठप हो जाएगा। खदान के बंद होने से कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी नि:शुल्क सुविधाएं बंद हो जाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल जैसे संकटों का सामना करना पड़ेगा।

न्यायालय के स्थगन आदेश बाद भी पंचायत प्रतिनिधि रोजगार सचिव व इंजीनियर करा रहे तालाब निर्माण

भूमि स्वामिनी ने निज स्वामित्व की भूमि का कुछ हिस्सा आने का लगाया है आरोप

छ.ग.फ्रंटलाइन भटगांव। सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डुमरिया में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान के द्वारा निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी करने के बाद भी सरपंच चंचला मरावी, सचिव कुलवंती राजवाड़े, रोजगार सचिव राम सिंह और इंजीनियर आशिफ अंसारी के द्वारा न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि इंजीनियर और जनप्रतिनिधि खुद को न्यायालय से बड़ा मानकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने में लगे हैं।

बता दें कि डुमरिया में ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार गारंटी के तहत सरकारी तालाब निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 19 लाख रुपये बताई जा रही है। भूमि स्वामी मोहरमनिया पति रामरतन जाति बरगाह का कहना है कि तालाब निर्माण हो रहे स्थल पर उनके निज स्वामित्व की भूमि का कुछ हिस्सा आ रहा है, इस पर न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है। इसके बाद भी पंचायत के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और इंजीनियर व अन्य कर्मचारियों की मनमानी जारी है। भूमि स्वामिनी ने अपनी जमीन की सुरक्षित रखने और सीमांकन कराने तक हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए जनपद पंचायत और न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान तक गुहार लगाई है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान द्वारा 21 अप्रैल 2023 को स्थगन आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सचिव को दिनांक 10 मई 2023 तक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद भी इनकी मनमानी जारी है और न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के स्थगन आदेश को ताक पर रखकर तालाब निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी है कि वे न्यायालय के आदेश का पालन करने के बजाए निर्माण कार्य जारी रखे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि वरुण कुमार मरावी से तत्संबंध में फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरपंच के द्वारा जो आदेश दिया गया, मैं उस आदेश का पालन करते गया। सरपंच के द्वारा विवाद होने पर भी इस कार्य को रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया, इसलिए मैं कार्य को जारी रखा हूं।

राम सिंह रोजगार सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया

ग्राम पंचायत डुमरिया में रोजगार गारंटी के तहत हो रहे निर्माण कार्य के विषय में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है वर्तमान में क्योंकि हम सभी सचिव लगभग एक महीने से अधिक दिनों से सामूहिक हड़ताल पर हैं इसलिए कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

कुलवंती राजवाड़े ग्राम पंचायत सचिव डुमरिया

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान के द्वारा ग्राम पंचायत में हो रहे तालाब निर्माण कार्य में स्थगन आदेश जारी किया गया है, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि स्थगन आदेश जारी किया गया है, मेरे द्वारा हो रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाया जाएगा।

आसिफ अंसारी, इंजीनियर रोजगार गारंटी

उपभोक्ताओं को बिजली बिल हॉफ योजना से वंचित कर रही सरकार

योजना से वंचित करने दो-तीन माह का बिल एक साथ थमा रहा विभाग

भाजपा ने उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर दिया धरना, सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में रामानुजगंज विधानसभा अंतर्गत बलरामपुर जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सीएसईबी द्वारा बिजली बिल में हो रही धांधली के संबंध में राज्यपाल के नाम बलरामपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इसकी जांच कराने व जनता को राहत पहुंचाने की मांग की गई।

भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल ने कहा बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर लोगों को एक-दो माह एवरेज बिल देने के बाद एक महीने में ही तीन महीने का बिजली बिल थमा दिया जा रहा है। कहीं सुरक्षा निधि तो कहीं स्पॉट बिलिंग के नाम पर अनाप-शनाप बिजली बिल वसूला जा रहा है। राज्य सरकार की बिजली बिल हॉफ योजना का लाभ किसी को भी मिल पा रहा है। बिजली विभाग द्वारा जान-बूझकर 400 यूनिट तक का बिजली बिल नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रत्येक माह का बिजली बिल उपभोक्ता को देने का प्रावधान है, परंतु सीएसईबी द्वारा दो-तीन महीने बाद ही बिजली बिल दिया जाता है ताकि आम जनता बिजली बिल हॉफ योजना से वंचित रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएसईबी के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सरकार का समर्थन प्राप्त है, आम जनता की इस समस्या से सरकार आंखें मूंद ली है। कार्यक्रम को भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, अजीत सिंह, जनपद उपाध्यक्ष भानू प्रकाश दीक्षित, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष गौतम सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप सोनी, छोटे लाल गुप्ता सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शेयर बाजार में रुपये लगाने का झांसा देकर 12.65 लाख की ठगी

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। शेयर बाजार में रुपये लगाकर अधिक लाभांश कमाने का झांसा देकर लुंड्रा थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण से 12 लाख 65 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट पीड़ित ने लुण्ड्रा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार धौरपुर के ग्राम भेड़िया का मुलायम सिंह यादव पिता महेश्वर यादव वर्तमान में लुण्ड्रा थाना अंतर्गत ग्राम बटवाही के यादव पारा में परिवार सहित रहता है। उसने पुलिस को बताया कि फरवरी माह में उसके मोबाइल पर एक महिला का फोन आया, जिसने अपना नाम प्रभा श्रीवास्तव बताया था। महिला द्वारा स्वयं को द एफएक्स वर्ल्ड नामक कंपनी का प्रोपराइटर बताया और कहा कि कंपनी द्वारा शेयर बाजार में जानकारों के माध्यम से रुपये लगाए जाते हैं। महिला ने ग्रामीण को भी इसमें रुपये लगाकर बेहतर लाभांस हासिल करने का झांसा दिया। महिला की बातों में आकर मुलायम सिंह यादव ने एक माह के भीतर ही अपने परिचितों व रिश्तेदारों से उधार लेकर चौदह बार में 12 लाख 65 हजार 200 जमा करा दिए। इसके बाद महिला का मोबाइल नंबर बंद हो गया। फिर दूसरे ठग ने भी ग्रामीण को ठगने की नीयत से स्वयं को कंपनी का बड़ा अधिकारी बताकर और रुपये डालने पर जमा रकम देने की बात कही। इस बार वह इनकी बातों में नहीं आया और लाखों रुपये देकर फंस चुके ग्रामीण ने इसकी शिकायत लुंड्रा थाने में पहुंच कर पुलिस से की है। पुलिस मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 420 का अपराध दर्ज की है।

सद्भावना ग्राम तकिया में सालाना उर्स शरीफ का आयोजन 14 मई से

मुख्यमंत्री सहित दिग्गजों के कार्यक्रम में आने की संभावना

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सद्भावना ग्राम तकिया में हजरत बाबा मुरादशाह वली व हजरत बाबा मोहब्बतशाह वली रहमत्तुलाह का सालाना उर्स शरीफ 14, 15 व 16 मई 2023 को मनाया जाएगा। इसकी प्रारंभिक तैयारियां अंजुमन इस्लाहूल मुस्लेमिन (वक्फ) द्वारा की जा रही है। उक्त कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व विधायक तथा निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष व सदस्यों के शामिल होने की पूरी संभावना है। प्रोग्राम के मनोनीत संयोजक इरफान सिद्दीकी ने बताया हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक सरगुजा जिले का सबसे बड़ा सार्वजनिक उर्श, उत्सवी रूप लिए रहता है। इसी कड़ी में 14 मई को चादर व संदलपोशी का प्रोग्राम होगा, जिसके तहत शाम चार बजे जामा मस्जिद से चादर-संदल का जुलूस निकलेगा और तकिया मजार शरीफ में चादर-संदलपोशी के बाद उल्मायेदीन की तकरीर होगी। 15 व 16 मई को हिंदुस्तान के जाने माने कौव्वालों की कव्वाली होगी, जिनसे खतों-किताबत अंजुमन कमेटी कर रही है। अंजुमन कमेटी के सदर इरफान सिद्दीकी, नायब सदर अफजाल अहमद अंसारी, सचिव अब्दुल लतीफ ने कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से शांति व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधा, बेरीकेडिंग व्यवस्था बेहतर बनाने हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के अलावा अन्य जिलों एवं प्रदेशों से भी सभी धर्मों के लोग हजारों की संख्या में शामिल होते हैं।

प्रयास आवासीय चयन परीक्षा 30 अप्रैल को

अंबिकापुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण सत्र 2023-24 कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजन किया गया है। परीक्षा प्रात: 11 से 02 बजे अपरान्ह तक जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। सभी पात्र परीक्षार्थी विभागीय वेबसाइट पर विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक व विद्यार्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर को अंकित कर ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित विकासखंड के मंडल संयोजक से संपर्क कर सकते हैं। मंडल संयोजक बतौली 82259 80743, मंडल संयोजक लखनपुर 97539 46553, मंडल संयोजक अंबिकापुर 90096 27222, मंडल संयोजक लुण्ड्रा 79995 66767, मंडल संयोजक उदयपुर 94061 30942, मंडल संयोजक सीतापुर 7240825482 एवं मंडल संयोजक मैनपाट 8319546670।

हरिनाम संकीर्तन, सत्संग में व्यतीत होने वाला समय ही करेगा जीवन सार्थक: पं.धरणीधर

दीयागढ़ धाम में श्रीमद्भागवत कथा का हवन, पूर्णाहुति के साथ समापन

छ.ग.फ्रंटलाइन रामानुजनगर। विकासखंड के गोवर्धन पर्वत, दीयागढ़ धाम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का सोमवार को हवन पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। अयोध्या से आए कथाकार पं.धरणीधर महाराज द्वारा सप्ताह भर संगीतमय कथा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया गया। दीयागढ़ धाम में प्रतिदिन हजारों की संख्या में सनातनी लोगों ने कथा श्रवण किया। इस दौरान हर रोज गणमान्यजनों की ओर से महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। व्यासपीठ से कथावाचक पं.धरणीधर महाराज ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण का हमेशा श्रवण करना चाहिए। सांसारिक जीवन की तमाम व्यस्तताओं के बीच जो समय हरिनाम संकीर्तन, सत्संग में व्यतीत होता है वह समय ही जीवन की सार्थकता है। गृहस्थ जीवन में परिवार पालन करते हुए जो मनुष्य समय का सदुपयोग कर सत्संग में शामिल होता है, ऐसे मनुष्य का जीवन सदा सुखी रहता है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की ओर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा, नाश का सबसे बड़ा कारण है। नशे से हर प्रकार का नुकसान होता है। नशे के कारण न सिर्फ शारीरिक क्षति होती है बल्कि परिवारिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी होता है। भारत एक युवा देश है, परंतु युवाओं में बढ़ती नशे की लत सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने नशे के दलदल में धंसने से पहले ही इस ओर समाज में जागरूकता की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि परिवार, समाज, समाजसेवी संस्थाओं के साथ हमारी सरकारों को भी नशे के विरुद्ध एक अभियान छेड़ना पड़ेगा, वरना भविष्य में नशा के कारण हमारा देश हर क्षेत्र में पिछड़ता चला जाएगा। कथा के अंतिम दिन कांग्रेस नेता महेंद्र साहू ने कथा श्रवण कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर क्षेत्र के सुख-समृद्धि, सद्भावना की कामना की। मां शारदा बोल बम सेवा समिति की ओर विशाल भंडारे का आयोजन कर महाप्रसाद का वितरण किया गया।

सोसायटी संचालक ने महिला से कहा-उसका राशन कोई और ले गया, कार्यालय पहुंचने पर रिकार्ड में मृत बताया

पंडो महिला का हक मारने वाले पर किसान नेता ने की कार्रवाई की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन भैयाथान। विकासखंड के धरसेडी निवासी कलावती पंडो ने अप्रैल माह का राशन नहीं मिलने की शिकायत किसान नेता सुनील साहू के नेतृत्व में तहसीलदार ओपी सिंह को अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर की है। बताया गया है जब वह इस माह का राशन लेने सोसायटी गई तो विक्रेता ने कहा कि उसका राशन कोई ले गया है। कलावती रोने लगी तो विक्रेता ने ई-पोस मशीन में देखकर बताया कि उसका नाम प्रतापपुर के बरबसपुर निवासी तबारक अंसारी के राशनकार्ड में जुड़ा है, वहीं से राशन उठ गया है। विक्रेता ने कहा इसका त्रुटी सुधार जिले में होगा। कलावती का कहना है कि जब वह जिला कार्यालय गई तो उसे मृत बताते हुए राशन कार्ड को फर्जी बता दिया गया। इसके बाद वह किसान नेता सुनील साहू के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाई, जिस पर उन्होंने एसडीएम कार्यालय जाकर महिला को राशन दिलाने की मांग की है। उन्होंने इस प्रकार दूसरे के हक पर डाका डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम सागर सिंह ने मामला संज्ञान में आने पर इसे गंभीरता से लिया है और इसकी तत्काल जांच कराकर राशन उपलब्ध कराने की बात कही है।

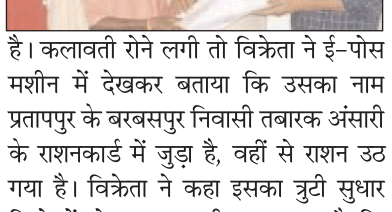

स्वर्णकार समाज ने भगवान परशुराम की शोभायात्रा का पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा युवा स्वर्णकार समाज द्वारा भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर दुर्गा मंदिर से परशुराम मंदिर केनाबांध तक निकली झांकी एवं शोभायात्रा का स्वागत देवीगंज रोड, निगम कांप्लेक्स के सामने किया। शोभायात्रियों को जलपान कराया गया एवं पुष्प वर्षा की गई। सरगुजा स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी सहित सभी वरिष्ठजनों ने झांकी में भगवान परशुराम एवं ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सरगुजा के युवा स्वर्णकार समाज के सभी उत्साही युवा साथियों ने रैली व शोभायात्रा में शामिल ब्राम्हणों को जलपान कराया। इस अवसर पर गोपेंद्र गोप सोनी, नीलेश सोनी, विनोद सोनी, मधुसूदन सोनी, रामचंद्र सोनी, दीपक सोनी, सालीग्राम सोनी, राजेश सोनी, संतोष सोनी, ओम प्रकाश सोनी, अखिलेश सोनी, मनोज सोनी, सुरेंद्र सोनी, युवा स्वर्णकार समाज के महासचिव अजय सोनी, रिशु सोनी, सुरेंद्र सोनी, सोनू सोनी, दीपक सोनी,अरविन्द सोनी, सितेंद्र सोनी, मुकेश सोनी, सत्यम सोनी, राहुल सोनी, रंजीत सोनी, प्रदीप सोनी, विशु सोनी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। उक्ताशय की जानकारी सरगुजा स्वर्णकार समाज के मीडिया प्रभारी अभिषेक सोनी ने दी।

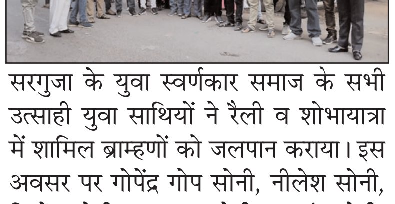

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक- कमलेश मिश्रा